[2020] 11 एस सी आर 425

सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र

वी.

भारत का संघ

(2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 546)

18 अगस्त, 2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 - एस. 11-राष्ट्रीय योजना

-

कोविड-19 महामारी-कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दायर एक जनहित याचिका जिसमें भारत संघ को एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने, अधिसूचित करने और लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। 11 आर/डब्ल्यू। एस. 10 वर्तमान महामारी (कोविड-19) से निपटने के लिए अधिनियम, 2005

-

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2019 की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गई राष्ट्रीय योजना वर्तमान महामारी से उत्पन्न स्थितियों से नहीं निपटती है और

लॉकडाउन, नियंत्रण क्षेत्र, सामाजिक दूरी आदि जैसे उपायों का कोई उल्लेख नहीं है-आयोजितः पहली राष्ट्रीय योजना यू/एस। 11 वर्ष 2016 में तैयार की गई थी, जिसे संशोधित किया गया था और राष्ट्रीय योजना नवंबर, 2019 में तैयार और अधिसूचित की गई थी-राष्ट्रीय योजना और

जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति पहले से ही हो चुकी है। राष्ट्रीय योजना, 2019 में विचार किया गया है, जिसे अनुच्छेद 1.13 के तहत तालिका 1-1 में अधिसूचित किया गया है। 1 विशेष रूप से महामारी शामिल हैंः वायरल, बैक्टीरियल, परजीवी, कवक और पूर्व संक्रमण नए

कोरोनावायरस एक महामारी है जो महामारी बन गई है-योजना 2019 सरकार के सभी स्तरों पर कई योजनाओं, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस. ओ. पी.), नियमावली, दिशानिर्देशों द्वारा पूरक है-इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

वर्ष 2008 में ही दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जिन्हें योजना-2019 में और विस्तार से बताया गया है-महामारी के सभी पहलुओं, महामारी को रोकने के लिए सभी उपायों, तैयारी, प्रतिक्रिया, शमन पर योजना-

2019 में विस्तार से चर्चा की गई है-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में पर्याप्त शक्तियां और उपाय हैं, जिन्हें किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और केंद्र सरकार द्वारा आगे की योजनाएँ तैयार करने के लिए, दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.), जो कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर किए गए हैं-कोविड-19 के लिए रोकथाम योजना भी जारी की गई थी-कोविड-19 को रोकने के लिए दिशा-निर्देश, एस. ओ. पी. और योजना की कोई कमी नहीं है-नोडल मंत्रालय ने कोविड-19 के बड़े प्रकोपों के लिए अद्यतन रोकथाम योजना रिकॉर्ड पर लाई है-कोविड-19 को रोकने के लिए सभी उपायों को विनियमित करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश और आदेश जारी किए गए हैं-इस प्रकार, याचिकाकर्ता के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कोई पर्याप्त योजना नहीं है-राष्ट्रीय योजना, 2019 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न आदेशों और उपायों के पूरक के रूप में तैयार की गई है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न आदेशों और उपायों के लिए कोई अवसर या कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 - एस. 12-राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश-कोविड-19-महामारी-कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दायर एक जनहित याचिका, जिसमें भारत संघ को राहत के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 12 कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले अधिनियम, 2005 की धारा-याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि केंद्र को आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा कवर और स्वच्छता के संबंध में राहत शिविरों में प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों की सिफारिश करने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ आना चाहिए, जिनके अभाव में, आश्रय गृह और राहत शिविर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के लिए हॉटबेड बनने के लिए अतिसंवेदनशील हैं-यह आगे अनुरोध किया गया कि केंद्र को एस के तहत विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ आना चाहिए। 12 ((ii) और (iii) विधवाओं और अनाथों के लिए अधिनियम, 2005 और उन लोगों के रिश्तेदारों को अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।

कोविड-19 संक्रमण के कारण जान गंवाना, लेकिन कठोर लॉकडाउन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप भी-यह भी प्रस्तुत किया गया कि कोविड-19 के लिए राहत के न्यूनतम मानकों के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं-आयोजितः प्रतिवादी ने उन दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड पर लाया है जो कोविड-19 महामारी की घोषणा से पहले मौजूद थे और इसमें सभी वैधानिक आवश्यकताएं शामिल हैं जैसा कि एस में गिना गया है। 12 - समान दिशा-निर्देशों पर विचार किया गया है ताकि आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा कवर और सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र के संबंध में न्यूनतम आवश्यकता प्रदान की जा सके।

संघ का

भारत

खंड में विचार किए गए स्वच्छता और अन्य राहत-न्यूनतम मानकों के लिए पहले से ही दिशा-निर्देश हैं

कोविड-19, न्यूनतम मानकों के लिए उक्त दिशा-निर्देश अच्छे हैं

उन लोगों के लिए भी जो कोविड-19 से प्रभावित हैं-- इसके अलावा, सरकार

भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोविड-19 को एक अधिसूचित आपदा माना है

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, मानदंडों के तहत सहायता प्रदान करना

और अन्य सहायता-इसलिए, भारत संघ बाध्य नहीं है राहत का न्यूनतम मानक निर्धारित करें एस. 12 और दिशानिर्देश जारी किए गए

यू/एस। 12 राहत के न्यूनतम मानकों का प्रावधान करना कोविड-19 महामारी के लिए भी अच्छा है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005-एस। 46 - राष्ट्रीय आपदा

प्रतिक्रिया कोष-कोविड-19-महामारी-जनहित याचिका

याचिकाकर्ता की दलीलें राष्ट्रीय आपदा के आसपास केंद्रित हैं

प्रतिक्रिया कोष (एन. डी. आर. एफ.) और पी. एम. केयर्स कोष-इसे प्रस्तुत किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010-11 से लागू किया गया है वित्तीय वर्ष से प्रभावी नए दिशानिर्देशों द्वारा संशोधित

2015-16 , और अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए एन. डी. आर. एफ. में योगदान करना संभव नहीं है और आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पहले के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.5 को हटाने से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए ऐसा करना संभव नहीं है।

एन. डी. आर. एफ. में योगदान-यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 5.5

पीएम केयर्स फंड को लाभ पहुँचाने के लिए पहले के दिशानिर्देशों को हटा दिया गया था - आयोजित किया गयाः नए दिशानिर्देशों में एक ही शीर्षक है, अर्थात। 'योगदान

एन. डी. आर. एफ. और दिशा-निर्देश 5.2 में धनराशि जमा की जाएगी।

एस के प्रावधानों के अनुसार एनडीआरएफ में। 46 (1) (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का क) और (ख)-उपरोक्त दिशानिर्देश

5.2 विशेष रूप से एस को संदर्भित किया गया है। 46 (1) (ए) और (बी) और एस। 46 (1) (ख) स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि कोई भी अनुदान जो किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन के उद्देश्य के लिए एनडीआरएफ को श्रेय दिया जाएगा।

इस प्रकार, यह निवेदन कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है या

एन. डी. आर. एफ. में कोई भी योगदान देना गलत है-तो, किसी भी व्यक्ति या संस्थान का कोई योगदान, अनुदान नहीं है

एन. डी. आर. एफ. में श्रेय दिया जाना निषिद्ध है और यह अभी भी किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए एस के संदर्भ में एन. डी. आर. एफ. में योगदान करने के लिए खुला है। 46 (1) (ख) अधिनियम, 2005-इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति द्वारा योगदान

या पीएम केयर्स फंड में किसी भी संस्थान द्वारा स्वैच्छिक है और यह खुला है।

पीएम केयर्स में योगदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए

कोष।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005। 46- कोविड-19 महामारी-एनडीआरएफ और पीएम केयर्स फंड-जनहित याचिका कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के उद्देश्य से एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता है

या कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट की स्थिति में, एक कोष बनाया गया था, जिसका नाम था पीएम केयर्स फंड-यह तर्क दिया गया था कि व्यक्तियों/संस्थानों से सभी योगदान/अनुदान एनडीआरएफ में जमा किए जाने चाहिए, न कि पीएम केयर्स फंड में और पीएम केयर्स फंड में अब तक एकत्र किए गए सभी धन को एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए-आयोजितः नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, एन. डी. आर. एफ. से होने वाला खर्च गंभीर आपदा के उन मामलों में तत्काल राहत प्रदान करने में राज्य की सहायता करने के लिए है, जहां आवश्यक खर्च राज्य के एस. डी. आर. एम. एफ. में शेष राशि से अधिक है-केंद्र ने एस. डी. आर. एम. एफ. का केंद्रीय हिस्सा 22,184 करोड़ रुपये में से 092 करोड़ रुपये का पहला निवेश जारी किया है और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी राज्य ने राज्य के एस. डी. एम. आर. एफ. में शेष राशि से अधिक खर्च किया है, राज्य द्वारा एन. डी. आर. एफ. से अधिक धन मांगने का कोई अवसर नहीं है-जबकि, पी. एम. केयर्स फंड को जारी किया गया है।

वर्ष 2020 में एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के रूप में गठित-वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रभावी दिशानिर्देशों के तहत, न तो एनडीआरएफ और न ही एसडीआरएमएफ ने जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को कवर किया-अधिसूचना से पहले एनडीआरएफ में किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा कोई योगदान नहीं दिया जा सकता था

दिनांक 14.03.2002, जिसने कोविड-19 को आपदा के रूप में अधिसूचित किया-कोविड-19 के प्रकोप के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में तत्काल वृद्धि और कोविड-19 को रोकने के लिए कोष के निर्माण की आवश्यकता थी-पीएम केयर्स कोष का गठन आवश्यक होने के लिए किया गया था

आपात स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन-एन. डी. आर. एफ. और पी. एम. केयर्स फंड अलग-अलग उद्देश्य और उद्देश्य के साथ दो पूरी तरह से अलग फंड हैं-पी. एम. केयर्स में एकत्र किए गए फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के फंड हैं और इसे जारी करने का कोई अवसर नहीं है।

उक्त धनराशि को एन. डी. आर. एफ. को हस्तांतरित करने का निर्देश।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. I) क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत भारत संघ तैयार करने के लिए बाध्य है,

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को अधिसूचित और कार्यान्वित करें, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के लिए, चाहे कोई भी राष्ट्रीय महामारी हो।

नवंबर, 2019 में अधिसूचित आपदा प्रबंधन योजना?

योजना, 2019 में। जब तक धारा 11 के तहत विचार की गई राष्ट्रीय योजना में जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों सहित आपदा के सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया जाता है, तब तक सरकारों के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करना और महामारी को रोकना संभव नहीं होगा। [पैरा 38] [454-एच; 455-ए]

1.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में पर्याप्त शक्तियां और उपाय हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और

केंद्र सरकार आगे की योजनाएँ, दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) तैयार करेगी, जिनके संबंध में -

कोविड-19 समय-समय पर किया जाता रहा है। मंत्रालय द्वारा नोवेल कोरोनावायरस, 2019 के लिए नियंत्रण योजना जारी की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भारत सरकार, जिसकी प्रति 16.05.2020 तक अद्यतन की गई है, को रिकॉर्ड में लाया गया है

अनुलग्नक-आर 4। नोडल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों, एस. ओ. पी. और योजना की कोई कमी नहीं है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुलग्नक आर-6 को रिकॉर्ड में लाया गया है, अर्थात, बड़े प्रकोपों के लिए अद्यतन रोकथाम योजना नोवेल कोरोनावायरस रोग, 2019

(कोविड-19)। [पैरा 39] [455-बी-डी]

1.4 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के साथ-साथ नोडल मंत्रालय ने समय-समय पर नियमन के लिए दिशा-निर्देश और आदेश जारी किए हैं

कोविड-19 को रोकने के लिए सभी उपाय। याचिकाकर्ताओं की यह दलील सही नहीं है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कोई पर्याप्त योजना नहीं है। कोविड-19 एक जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है, जिसे विशेष रूप से राष्ट्रीय योजना, 2019 द्वारा कवर किया गया है, जो विभिन्न योजनाओं, [2020] 11 एस. सी. आर. द्वारा पूरक है।

दिशा-निर्देशों और उपायों के अनुसार, कोविड-19 से निपटने के लिए योजनाओं और प्रक्रियाओं की कोई कमी या कमी नहीं है। [पैरा 40] [455-ई]

1.5 यह न्यायालय याचिकाकर्ता के इस दावे में कोई योग्यता नहीं पाता है कि भारत संघ को एक राष्ट्रीय समिति तैयार करने का निर्देश दिया जाए।

कोविड-19 के लिए धारा 11 के तहत योजना बनाएँ। राष्ट्रीय योजना, 2019 पहले से ही आपदा के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न आदेशों और उपायों के साथ लागू है।

प्रबंधन अधिनियम, 2005, कोविड-19 के लिए एक नई राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए भारत संघ को कोई अवसर या कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, भारत संघ कोविड-19 के लिए एक नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने, अधिसूचित करने और लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। [पैरा 42] [456-ए-बी]

2. II) क्या भारत संघ अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के लिए बाध्य था,

कोविड-19 के लिए राहत के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने वाले अधिनियम की धारा 12 के तहत जारी किए गए पहले के दिशानिर्देशों के बावजूद?

2.1 रिकॉर्ड पर लाए गए दिशानिर्देश जो कोविड-19 महामारी की घोषणा से पहले से अस्तित्व में थे, धारा 12 में उल्लिखित सभी वैधानिक आवश्यकताओं को शामिल करते हैं।

धारा 12 में उल्लिखित वर्तमान आपदा सहित सभी आपदाएँ शामिल हैं। धारा 12 में यह विचार नहीं किया गया है कि विभिन्न आपदाओं के लिए राहत के न्यूनतम मानकों के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश होंगे। [पैरा 45] [457-डी-ई] 2.2 समान दिशा-निर्देशों पर विचार किया गया है ताकि आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को न्यूनतम सुविधा प्रदान की जा सके

आश्रय, भोजन के संबंध में राहत शिविरों में आवश्यकता, पेयजल, चिकित्सा कवर और स्वच्छता और अन्य राहत, जैसा कि खंड में विचार किया गया है। कोविड-19 से पहले भी न्यूनतम मानकों के लिए पहले से ही दिशा-निर्देश होने के कारण, न्यूनतम मानकों के लिए उक्त दिशा-निर्देश उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो कोविड-19 से प्रभावित हैं। धारा 12 में यह विचार नहीं किया गया है कि कोविड-19 के संबंध में राहत के न्यूनतम मानकों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि वह भारत संघ को सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र की धारा 12 के तहत नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दे।

संघ का

भारत

कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को प्रदान किया जाना गलत धारणा है।

[पैरा 46] [457-एफ-जी]

3. (III) क्या भारत संघ अधिनियम की धारा 46 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने के लिए बाध्य है

कोविड-19 की लड़ाई में सहायता प्रदान करने का उद्देश्य?

IV) क्या व्यक्तियों और संस्थानों से सभी योगदान/अनुदान एन. डी. आर. एफ. को जमा किए जाने चाहिएः

पीएम केयर्स फंड के बजाय अधिनियम की धारा 46 (1) (बी)?

5) क्या पीएम केयर्स फंड में अब तक एकत्र की गई सभी निधियों को एनडीआरएफ को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया जाए?

3.1 तीनों परस्पर संबंधित प्रश्नों को एक साथ लिया जाता है। याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँ चारों ओर केंद्रित हैं

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और पीएम केयर्स कोष। [पैरा 49] [458-ई] 3.2 एन. डी. आर. एफ. के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों को वित्तीय वर्ष 2015-16 से संशोधित किया गया है जिन्हें रिकॉर्ड में लाया गया है। नए अधिनियम के अनुच्छेद 10 के अनुसार

दिशा-निर्देश, एन. डी. आर. एफ. से होने वाला खर्च किसी राज्य की सहायता करने के लिए होता है

कोविड-19 महामारी, और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री के साथ एक न्यास का गठन करके एक कोष बनाया गया था। पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष, अन्य पदेन और फंड के नामित न्यासियों के साथ। पीएम केयर्स फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। पीएम केयर्स फंड में कोई सरकारी पैसा जमा नहीं किया जाता है। [पैरा 59] [464-ए-सी] [2020] 11 एस. सी. आर.

3.4 सबसे पहले, पहले के दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 5.5 जो

एन. डी. आर. एफ. में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा विचारित योगदान अभी भी नए दिशानिर्देशों में है, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू हुए हैं। नए दिशानिर्देशों में वही शीर्षक है, अर्थात, "एन. डी. आर. एफ. में योगदान" और दिशानिर्देश 5 में कहा गया है कि "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 (1) (ए) और (बी) के प्रावधानों के अनुसार एन. डी. आर. एफ. में धन जमा किया जाएगा।" 5. 2 उपरोक्त दिशानिर्देश विशेष रूप से

धारा 46 (1) (ए) और (बी) और धारा 46 (1) (बी) को स्पष्ट रूप से संदर्भित किया गया है।

प्रावधान है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा दिए जाने वाले किसी भी अनुदान को एन. डी. आर. एफ. में जमा किया जाएगा। यह कहना कि नए दिशानिर्देशों के बाद, किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए एन. डी. आर. एफ. में कोई योगदान करना संभव नहीं है, इस प्रकार गलत और गलत है। धारा 46 के वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ

वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू नए दिशानिर्देश कोई भी व्यक्ति या संस्थान अभी भी एनडीआरएफ में योगदान कर सकता है।

[पैरा 61] [464-एफ-एच; 465-ए]

3.5 दूसरा, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद वर्ष 2020 में पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया है, जबकि नए दिशानिर्देश आईडी1 से लागू हुए हैं, जिस तारीख को पीएम केयर्स फंड अस्तित्व में नहीं था, इसलिए यह कहना कि पीएम केयर्स फंड को लाभान्वित करने के लिए नए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था, पूरी तरह से गलत है। [पैरा 62] [465-बी]

3.6 अधिसूचना जारी होने के बाद, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने इस विषय पर 03.04.2020 का आदेश जारी कियाः राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष से केंद्रीय हिस्से का अग्रिम विमोचन (एस. डी. आर. एम. एफ.) वर्ष 2020-21 "के लिए। उक्त आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने एक करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। 11,092 / - आई. डी. 1,184 करोड़ में से जो एस. डी. आर. एम. एफ. का केंद्रीय हिस्सा था। सभी राज्यों को एस. डी. आर. एम. एफ. के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अलग-अलग राशि आवंटित की गई है। उक्त का अनुलग्नक

अधिसूचना पृष्ठ 161 पर है, जो इंगित करता है कि महाराष्ट्र राज्य को आवंटित अधिकतम अनुदान पहली किश्त के रूप में 1,611 करोड़ रुपये और गोवा राज्य को न्यूनतम राशि, यानी सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र v.

संघ का

भारत

केंद्र द्वारा 6 करोड़ रुपये। दिनांकित अधिसूचना 14.03.2020 स्पष्ट रूप से एस. डी. आर. एम. एफ. के तहत सहायता प्रदान करने की अनुमति देती है। कोविड-19। यदि राज्य का कोई भी खर्च राज्य के एस. डी. आर. एम. एफ. में शेष राशि से अधिक है, तो राज्य एन. डी. आर. एफ. से निधि जारी करने का हकदार है क्योंकि यह दायर किए गए नए दिशानिर्देशों से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता का निवेदन कि एन. डी. आर. एफ. का उपयोग किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है

इस प्रकार, कोविड-19 के लिए सहायता स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस मामले का एक और पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब केंद्र राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है

कोविड-19 को रोकने के उपाय, जैसा कि इस न्यायालय ने ऊपर देखा है कि 03.04.2020 की पहली किश्त के आदेश द्वारा रु। 11,092 / एस. डी. आर. एम. एफ. को केंद्रीय हिस्से के रूप में एक करोड़ रुपये दिए गए हैं और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी राज्य ने राज्य के एस. डी. आर. एम. एफ. में शेष राशि से अधिक खर्च किया है, राज्य द्वारा एन. डी. आर. एफ. से अधिक धनराशि मांगने का कोई अवसर नहीं है। जब केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है राज्य कोविड-19 को नियंत्रित करेंगे यह कहना किसी भी जनहित याचिका याचिकाकर्ता का काम नहीं है

कि केंद्र को इस निधि या उस निधि से राशि देनी चाहिए। वित्तीय योजना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जिसकी वित्तीय योजना उचित विचार-विमर्श और विचार-विमर्श के बाद बनाई जाती है। इस प्रकार, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के इस कथन में कोई सार नहीं मिलता है कि कोविड-19 के लिए एन. डी. आर. एफ. के उपयोग में कोई वैधानिक प्रतिबंध/निषेध है। इससे भी अधिक जब धारा 46 की उप-धारा (2) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि एन. डी. आर. एफ. को राष्ट्रीय कार्यपालिका को उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एन. डी. आर. एफ. का उपयोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए किया जा सकता है। [पारस 64 और 65] [466 एफ-एच; 467-ए-ई] 3.7 एन. डी. आर. एफ. और राज्य के एस. डी. आर. एम. एफ. के गठन और प्रशासन के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश,

सीमित आपदाओं के लिए निधि का उपयोग प्रदान किया, जिसमें कोई जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल शामिल नहीं था। यह न्यायालय पहले ही एन. डी. आर. एफ. के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों के खंड 3.1 पर ध्यान दे चुका है, जिसमें जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को शामिल करने वाली आपदाओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रभावी दिशानिर्देशों के तहत न तो एनडीआरएफ और न ही एसडीआरएफ ने जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य [2020] 11 एस. सी. आर. को शामिल किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपात स्थिति। यह केवल दिनांक 14.03.2020 की अधिसूचना द्वारा था कि कोविड-19 को एस. डी. आर. एफ. के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अधिसूचित आपदा के रूप में माना गया था। जाहिर है इससे पहले

अधिसूचना दिनांक 14.03.2020 एन. डी. आर. एफ. में किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा कोई योगदान नहीं दिया जा सकता था

निर्दिष्ट आपदा, जैसे कि कोविड-19, भारत के साथ-साथ दुनिया के अन्य देशों में कोविड-19 के प्रकोप जैसे जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में तत्काल वृद्धि और कोविड-19 को रोकने के लिए कोष के निर्माण की आवश्यकता है। समय की इस आवश्यकता पर, आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन रखने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास, अर्थात् पीएम केयर्स फंड के गठन में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 71] [468-एफ-एच; 469-ए-बी]

3.8 एन. डी. आर. एफ. और पी. एम. केयर्स कोष दो पूरी तरह से अलग-अलग कोष हैं जिनका उद्देश्य और उद्देश्य अलग-अलग हैं। इसे ध्यान में रखते हुए

पूर्वगामी चर्चाओं में, प्रश्न Nos.3,4 और 5 का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया गया हैः

उत्तर 3. भारत संघ कोविड-19 महामारी की लड़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए एनडीआरएफ का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों के अनुरोध पर निधि जारी करने का तरीका।

4. उत्तर दें। किसी भी व्यक्ति या संस्थान के किसी भी योगदान, अनुदान को एन. डी. आर. एफ. में जमा करने के लिए निषिद्ध नहीं है और यह अभी भी किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए योगदान करने के लिए खुला है। अधिनियम, 2005 की धारा 46 (1) (बी) के संदर्भ में एन. डी. आर. एफ. पीएम केयर्स में किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान द्वारा योगदान

कोष स्वैच्छिक है और यह किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए पीएम केयर्स कोष में योगदान करने के लिए खुला है।

जवाब 5 दें। पीएम केयर्स कोष में एकत्र की गई धनराशि पूरी तरह से अलग-अलग राशि है जो एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास की निधि है और उक्त निधि को एनडीआरएफ को हस्तांतरित करने के लिए कोई निर्देश जारी करने का कोई अवसर नहीं है। [पैरा 72] [469-सी-एफ]

स्वराज अभियान बनाम। भारत संघ और अन्य। , (2016) 7

एस. सी. सी. 498 संदर्भित है। गौरव कुमार बंसल बनाम। भारत संघ और ओआरएस। ,

(2017) 6 एस. सी. सी. 730; मुल्ला गुलाम अली और सफियाबाई डी. ट्रस्ट बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी, (2003) 11 एस. सी. सी. 772-- आश्रित

पर।

सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र v. संघ का

भारत

मामला कानून संदर्भ

(2016) 7 एससीसी 498

पैरा

8

संदर्भित किया गया है

(2017) 6 एस. सी. सी. 730

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

(2003) 11 एस. सी. सी. 772

उस पर भरोसा करें

पैरा

68

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

546 2020 से।

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

तुषार मेहता, एसजी, के. एम. नटराज, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, संजय

डॉ. अभिषेक अत्रेय, शादमान अली, सुश्री विद्युतमा झा, सुश्री अंबिका अत्रेय, अनुराग एम. श्रॉफ, सुश्री संजना नांगिया, सुश्री अभिलाषा भारती, अविजीत मणि त्रिपाठी, अभिकल्प पी. सिंह, शौर्य सहाय, सुश्री तारिणी के. नायक, अभिमानू श्रेष्ठ, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुमीर सोधी, आशीष तिवारी, सुश्री नूपुर सिंघल, राहुल खुराना, संजय कुमार विसेन, प्रणव सचदेवा, मनीष कुमार, पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री अनुपमा नगंगोम, करुण शर्मा, श्रेष्ठ शर्मा, सुहान मुखर्जी, विशाल प्रसाद, पीएलआर चैंबर्स एंड कंपनी, राघवेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, करण भरीहोक, सिद्धांत शर्मा, शुभ्रांशु पाधी, अभिमन्यु तिवारी, बीजू पी. रमन, राज बहादुर यादव, सुश्री शशि जुनेजा, सुश्री पिंकी बेहरा, अभिनव मुखर्जी, सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, मोहित पॉल, ऋषभ अग्रवाल, सुश्री सुनैना फुल, के. वी. जगदीशवरन, सुश्री जी. इंदिरा, एम. नागेश कन्ना, शुभदीप रॉय, ऋतुराज बिस्वास, सिबो शंकर मिश्रा, संदीप कुमार झा, सुश्री के. एनातोली सेमा, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री अर्शिया घोष, सुश्री आस्था शर्मा, अर्जुन गर्ग, सुश्री रति टंडन, दीपक प्रकाश, नचिकेता वाजपेयी, [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री दिव्यांगना मलिक, सुश्री रश्मि बंसल, राज किशोर चौधरी, सुश्री नूपुर कुमार, सुश्री रोनिता भट्टाचार्य, शादन फरासत, भरत गुप्ता, सुनील फर्नांडीस, अमित भंडारी, मुहम्मद खान, अविष्कार सिंघवी, वरुण चोपड़ा, उमर होदा, प्रस्तू दलवी, सुश्री ऐश्वर्या महापात्रा, गुरतेजपाल सिंह, सुश्री मिथु जैन, अर्णव विद्यार्थी, विवेक शर्मा, नितिन मिश्रा, सुश्री मिताली गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

आलोक श्रीवास्तव, सुश्री ननीता शर्मा, मुकेश कुमार, आवेदक-इन-पर्सन्स।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

इससे उबरने के बाद भी भारत में पिछले महीने मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई। 2. दुनिया प्राचीन काल से ही कई प्रकार की आपदाओं से परिचित है। हाल के वर्षों में हर देश को किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ा है।

स्मृति. आपदाएँ दुनिया भर में जीवन, समाज और आजीविका को बाधित करती हैं। आपदा का प्रभाव कड़ी मेहनत से अर्जित अर्थव्यवस्था, विकास पर पड़ रहा है

और भौतिक लाभ। कई विनाशकारी खतरे प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित भी हैं। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने वाली पूरी दुनिया अब इसके दुष्प्रभाव से अच्छी तरह वाकिफ है और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकासशील देशों सहित सभी लोगों के लिए प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के महत्व को स्वीकार करते हुए 1990 को नामित किया प्राकृतिक आपदा में कमी का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 1990 के दशक के आई. डी. एन. डी. आर. के बाद आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (यू. एन. आई. एस. डी. आर.) की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र/जी. ए. ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी. आर. आर.) पर दूसरा विश्व सम्मेलन कोबे, ह्योगो, जापान में आयोजित किया।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.], जिसने योकोहामा रणनीति और इसकी समीक्षा का समापन किया

कार्रवाई और कार्रवाई के लिए ह्योगो फ्रेमवर्क को अपनाना

-2015 : 168 देशों द्वारा राष्ट्रों और समुदायों के लिए लचीलापन (एच. एफ. ए.) (यू. एन. आई. एस. डी. आर. 2005) का निर्माण। एच. एफ. ए. ने रूपरेखा तैयार की

कार्रवाई के लिए आपत्तियाँः

" (1) सुनिश्चित करें कि डी. आर. आर. एक राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता है।

कार्यान्वयन के लिए मजबूत संस्थागत आधार;

आपदा जोखिमों की पहचान करें, उनका आकलन करें और उनकी निगरानी करें और उन्हें जल्दी बढ़ाएं।

(2)

चेतावनी;

एक संस्कृति के निर्माण के लिए ज्ञान, नवाचार और शिक्षा का उपयोग करें।

(3)

सभी स्तरों पर सुरक्षा और लचीलापन;

(4)

अंतर्निहित जोखिम कारकों को कम करना;

(5) प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को मजबूत करना।

सभी स्तरों पर।

3. 23.12.2005 पर, भारतीय संसद के दोनों सदनों ने एक टेर मैनेजमेंट बिल पारित किया। वस्तुओं का परिचय और कथन

विधेयक के कारणों का उल्लेख हैः -

" परिचय

आपदाओं की रोकथाम और शमन प्रभावों के लिए और

किसी भी स्थिति के लिए एक समग्र, समन्वित और त्वरित प्रतिक्रिया करना।

आपदा की स्थिति सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की तैयारी और निगरानी के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

सरकार की शाखाएँ। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपदा

संसद में प्रबंधन विधेयक पेश किया गया।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सरकार ने आपदा पर कानून बनाने का फैसला किया है

आपदा के कार्यान्वयन को तैयार करना और उसकी निगरानी करना प्रबंधन योजनाएं, विभिन्न शाखाओं द्वारा उपाय सुनिश्चित करना

आपदाओं के प्रभावों की रोकथाम और उन्हें कम करने के लिए और आपदाओं के लिए एक समग्र, समन्वित और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सरकार

कोई भी आपदा की स्थिति। "[2020] 11 एस. सी. आर.

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 2005" के रूप में संदर्भित किया गया है) को आपदाओं और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का अधिनियमन आपदाओं के प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं और अन्य उपायों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र लाने के लिए था। हम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर थोड़ी देर बाद ध्यान देंगे।

5. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2009" को मंजूरी दी। अनुच्छेद 1.1। 1 , 1.2. 1 और 1.3। 1 नीति का विवरण इस प्रकार हैः

" 1.1. 1 आपदाएँ प्रगति को बाधित करती हैं और श्रमसाध्य विकासात्मक प्रयासों के कठिन परिश्रम से अर्जित फल को नष्ट कर देती हैं, जो अक्सर राष्ट्रों को प्रेरित करती हैं।

प्रगति के लिए, कई दशकों तक। इस प्रकार, कुशल

खोज में

आपदाओं का प्रबंधन, न कि केवल उनकी प्रतिक्रिया

हाल के दिनों में इस घटना ने भारत और विदेश दोनों में अधिक ध्यान आकर्षित किया है। यह आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता की मान्यता का उतना ही परिणाम है जितना कि यह एक स्वीकृति है कि एक देखभाल करने वाले और सभ्य समाज में सुशासन को आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है।
1.2. 1 भारत विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। 58.6 भूमि का प्रतिशत मध्यम से बहुत अधिक भूकंपों के लिए प्रवण है।

तीव्रता; 4 करोड़ हेक्टेयर (भूमि का 12 प्रतिशत) से अधिक बाढ़ और नदी के कटाव के लिए प्रवण है; 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से 5,700 किलोमीटर के करीब चक्रवात और सुनामी के लिए प्रवण है; 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखे के लिए संवेदनशील है और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा है। आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता /

रासायनिक, जैविक, विकिरण और नाभिकीय (सी. बी. आर. एन.) उत्पत्ति की आपात स्थिति भी मौजूद है। आपदा जोखिमों की बढ़ती कमजोरियों का संबंध बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और

औद्योगीकरण, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के भीतर विकास, पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन (मानचित्र 1-4)। 1.3. 1
23 दिसंबर 2005 को, भारत सरकार (जी. ओ. एल.) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, एन. टी. आर. ई. फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिस्ट v. को लागू करके एक परिभाषित कदम उठाया।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

(इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.) के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। (एस. डी. एम. ए.) मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और जिला आपदा

जिले के नेतृत्व में प्रबंधन प्राधिकरण (डी. डी. एम. ए.) कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त के रूप में

मामला हो सकता है, नेतृत्व करने और एक समग्र और एकीकृत को अपनाने के लिए डीएम के लिए दृष्टिकोण। विकासात्मक लाभों के संरक्षण के लिए पूर्ववर्ती राहत-केंद्रित प्रतिक्रिया से सक्रिय रोकथाम, शमन और तैयारी-संचालित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव होगा।

और जीवन, आजीविका और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए।

इस नीति में अधिनियम के तहत संस्थागत ढांचे पर ध्यान दिया गया, जिससे निपटा गया

वित्तीय व्यवस्था, आपदा रोकथाम, शमन और

निर्दयता।

6. आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन था

मार्च, 2015 में सेंडाई, जापान में। की गई घोषणाओं में से एक

अनुमान यह थाः -

" हम, राज्य और सरकार के प्रमुख, मंत्री और प्रतिनिधि

तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में भाग लेना आपदा जोखिम न्यूनीकरण, 14 से 18 मार्च तक एकत्र हुआ है

2015 जापान में मियागी प्रान्त के सेंडाई शहर में, जो है

ग्रेट ईस्ट जापान से एक जीवंत सुधार का प्रदर्शन किया

मार्च 2011 में भूकंप। के बढ़ते प्रभाव को पहचानना

आपदाएँ और दुनिया के कई हिस्सों में उनकी जटिलता, हम

दुनिया भर में आपदाओं से जीवन और संपत्ति के आपदा नुकसान को कम करने के लिए आपदा जोखिम में कमी। 7. कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं से संबंधित सेंडाई घोषणा

पैराग्राफ 33 (ए) में निम्नलिखित के बारे में बताया गया हैः

" 33 (क) आपदा तैयारी और आकस्मिकता नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को संबंधित लोगों की भागीदारी के साथ तैयार करना या समीक्षा करना और समय-समय पर अद्यतन करना।

जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों और आपदा जोखिम पर उनके प्रभाव पर विचार करते हुए और सभी क्षेत्रों और प्रासंगिक हितधारकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थान;

8. हालाँकि अधिनियम, 2005 की धारा 11 में राष्ट्रीय योजना तैयार करने पर विचार किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय योजना [2020] 11 एस. सी. आर. तक तैयार नहीं की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 2016 जैसा कि इस न्यायालय ने स्वराज अभियान बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के एक फैसले में देखा था। , (2016) 7 एससीसी 498। वर्ष 2016 में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी

अधिनियम, 2005 की धारा 11 द्वारा अपेक्षित। इस न्यायालय ने गौरव कुमार के मामले में धारा 11 के तहत राष्ट्रीय योजना की तैयारी पर ध्यान दिया था

बंसल बनाम भारत संघ और अन्य। , (2017) 6 एससीसी 730। उसी निर्णय में, इस न्यायालय ने देखा कि अधिनियम की धारा 23 (दो राज्यों को छोड़कर) और जिला योजना के तहत राज्य योजना भी तैयार की गई है। राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना की तैयारी को उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 7,11 और 12 में देखा गया था, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

अधिनियम की धारा 11 और अधिनियम की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश भी एन. डी. एम. ए. की वेबसाइट पर रखे गए हैं। 11. जहां तक अधिनियम की धारा 23 के तहत राज्य योजना की तैयारी का संबंध है, हमें एन. डी. एम. ए. के विद्वान वकील द्वारा सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है।

जो बहुत जगह पर है।

12. जहां तक जिलों का संबंध है, यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

अधिनियम की धारा 25 के तहत जिले में और देश के 684 जिलों में से 615 जिलों में एक जिला आपदा प्रबंधन योजना लागू है, जबकि शेष जिलों में इसकी प्रक्रिया चल रही है।

9. मौजूदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का संशोधन

योजना, 2016 अप्रैल, 2017 में शुरू हुई और नवंबर, 2019 में पूरी हुई। राष्ट्रीय आपदा द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना

प्रबंधन प्राधिकरण को नवंबर, 2019 में अधिसूचित किया गया था।

10. एक जनहित याचिका के रूप में दायर यह रिट याचिका कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दायर की गई है, जिसमें भारत संघ को धारा के तहत एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने, अधिसूचित करने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

11 वर्तमान महामारी (कोविड-19) से निपटने के लिए अधिनियम, 2005 की धारा 10 के साथ पढ़ें और अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करें जो कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक रुचि सूची के लिए राष्ट्रीय आपदा केंद्र का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए प्रतिक्रिया कोष (एन. डी. आर. एफ.) और व्यक्तियों/संस्थानों से सभी योगदान/अनुदान एन. डी. आर. एफ. में जमा किए जाने चाहिए न कि पी. एम. केयर्स फंड और सभी में। पीएम केयर्स फंड में अब तक एकत्र की गई राशि को एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। विशिष्ट प्रार्थनाओं (ए) से (सी) पर ध्यान देना उपयोगी है।

रिट याचिका में किया गयाः -

भारत संघ को एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

" ए।

कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 के साथ पठित धारा 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना तैयार करना, अधिसूचित करना और उसे लागू करना।

भारत संघ को एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

बी।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों को कम करना, जो कोविड-19 वायरस से प्रभावित व्यक्तियों के साथ-साथ परिणामस्वरूप राष्ट्रीय लॉकडाउन द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

भारत संघ को एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

सी.

एनडीआरएफ का उपयोग डी. एम. अधिनियम की धारा 46 के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है, व्यक्तियों और संस्थानों से सभी योगदान/अनुदान को पीएम केयर्स फंड के बजाय धारा 46 (1) (बी) के संदर्भ में एनडीआरएफ में जमा किया जाएगा और अब तक पीएम केयर्स फंड में एकत्र किए गए सभी फंड को एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जा सकता है।

11. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे को सुना है। श्री कपिल सिब्बल ने भी समर्थन में अपनी दलीलें दी हैं।

2020 की सुओ मोटो रिट याचिका संख्या 6 में उनकी प्रस्तुतियों को संबोधित करते हुए रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं और मुद्दों के बारे में। हमने भारत संघ की ओर से पेश विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को भी सुना है।

12. रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर राष्ट्रीय योजना अपलोड की गई है।

वर्ष 2019 वर्तमान महामारी से उत्पन्न स्थितियों से नहीं निपटता है और इसमें लॉकडाउन, नियंत्रण क्षेत्र, सामाजिक दूरी आदि जैसे उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कोविड-19 अधिनियम, 2005 के तहत एक "आपदा" के रूप में और तत्काल महामारी को रोकने के लिए अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला जारी की है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि केंद्र को तत्काल महामारी [2020] 11 एस. सी. आर. से निपटने के लिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई राष्ट्रीय योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

और राज्य सरकार और विशेषज्ञों के साथ उचित परामर्श के बाद इसे तैयार करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता आगे निवेदन करता है कि केंद्र को न्यूनतम मानकों की सिफारिश करने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ आना चाहिए। राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा कवर और स्वच्छता के संबंध में प्रदान की जाने वाली राहत, जिसके अभाव में, आश्रय

घरों और राहत शिविरों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का केंद्र बनने की संभावना है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि केंद्र को विधवाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश करने वाले अधिनियम, 2005 की धारा 12 (ii) और (iii) के तहत विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ आना चाहिए। और न केवल कोविड-19 संक्रमण के कारण बल्कि कठोर लॉकडाउन के कारण भी जान गंवाने वालों के रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी

13. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा अनुदान/योगदान को अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन. डी. आर. एफ.) में जमा किया जाना चाहिए और एन. डी. आर. एफ. का उपयोग चल रहे कोविड-19 संकट से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। कोविड-19 के संबंध में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए सभी योगदान को पीएम केयर्स फंड में जमा किया जा रहा है न कि एनडीआरएफ में, जो अधिनियम, 2005 की धारा 46 का स्पष्ट उल्लंघन है। एनडीआरएफ कैग ऑडिट के अधीन है और पीएम केयर्स फंड कैग ऑडिट के अधीन नहीं है। याचिकाकर्ता का मामला आगे यह है कि केंद्र को इसके खिलाफ लड़ने के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से एनडीआरएफ का उपयोग करने का निर्देश दिया जा सकता है।

कोविड-19 और व्यक्तियों और संस्थानों के सभी योगदान/अनुदान को धारा 46 (1) (बी) के संदर्भ में एन. डी. आर. एफ. को जमा किया जाना चाहिए, न कि पीएम केयर्स फंड और पीएम केयर्स फंड में एकत्र किए गए सभी फंड को।

तिथि को एन. डी. आर. एफ. को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जा सकता है। 14. भारत संघ की ओर से एक प्रारंभिक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। जवाबी हलफनामे में, उत्तरदाताओं ने सवाल किया है

इस जनहित याचिका को दायर करने के लिए याचिकाकर्ता का अधिकार। जवाबी हलफनामे में सवाल किया गया है कि क्या केवल मुद्दों पर मुकदमा दायर करने के लिए एक स्थायी निकाय स्थापित किया जा सकता है, जिसे उक्त निकाय व्यक्तिपरक रूप से "सार्वजनिक हित" का मानता है। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि धारा 11 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पहले से ही लागू है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना-नवंबर, 2019 के प्रासंगिक हिस्से को जवाबी हलफनामे में अनुलग्नक आर-1 के रूप में संलग्न किया गया है। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि अधिनियम, 2005 किसी राष्ट्रीय योजना के अनुसरण में प्रदान की जाने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

आपदा। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि राष्ट्रीय योजना में सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र के लिए चरण-दर-चरण निर्देश या दिन के लिए विशिष्ट निर्देश नहीं हैं और न ही हो सकते हैं।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

किसी विशेष और अप्रत्याशित आपदा की स्थिति में सरकारी एजेंसियों द्वारा दिन का प्रबंधन। राष्ट्रीय योजना एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें दैनिक प्रबंधन के बारे में सूक्ष्म विवरण शामिल हों।

किसी भी आकस्मिक जैविक आपदा के संबंध में तैयारी ने "जैविक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश" तैयार किए हैं। आपदाएँ "। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 के लिए आकस्मिक योजना के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर के लिए व्यापक खाका तैयार किया है। नोडल मंत्रालय यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 02.03.2020 पर "कोविड-19 के लिए क्लस्टर नियंत्रण योजना" जारी की है, जिसे आगे 16.05.2020 पर अपडेट किया गया था। मार्गदर्शन दस्तावेजों सहित समय-समय पर आगे के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 को मंजूरी दे दी है

कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने और कोविड-19 मामलों के उपचार के लिए कोविड समर्पित सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज, जिसमें महत्वपूर्ण देखभाल, परीक्षण क्षमताओं में वृद्धि, आवश्यक मानव संसाधनों की भागीदारी और प्रशिक्षण और कोविड-19 कर्तव्यों में लगे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए आवश्यक उपकरण और सुरक्षात्मक उपकरणों की खरीद आदि शामिल हैं। राहत के न्यूनतम मानकों के संबंध में, जवाबी हलफनामा धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों पर दिशानिर्देशों को संदर्भित करता है और उन पर निर्भर करता है, जिन्हें अनुलग्नक आर-7 के रूप में दर्ज किया गया है। जवाबी हलफनामे में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को भी रेखांकित किया गया है।

15. पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ के संबंध में रिट याचिका में दिए गए कथनों का जवाब देते हुए जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि

कई निधियाँ जो या तो पहले या अब वहन करने के लिए स्थापित की गई हैं

विभिन्न राहत कार्यों को पूरा करें। पीएम केयर्स फंड स्वैच्छिक दान के साथ ऐसे फंडों में से एक है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि एक एनडीआरएफ मौजूद है जो पीएम केयर्स फंड जैसे एक अलग कोष के निर्माण को प्रतिबंधित नहीं करेगा जो स्वैच्छिक दान प्रदान करता है। एन. डी. आर. एफ. में पी. एम. केयर्स कोष में प्राप्त धन के हस्तांतरण के लिए रिट याचिका में अनुरोध किए गए निर्देश गैर-रखरखाव योग्य हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. श्री दुष्यंत दवे, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, रिट में याचिकाकर्ता की दलीलों का जिक्र करते हुए याचिका में तर्क दिया गया है कि केंद्र विशेष रूप से कोविड-19 के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए बाध्य था। श्री दवे इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि धारा 11 के तहत राष्ट्रीय योजना नवंबर, 2019 में तैयार की गई है, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत किया कि योजना न तो व्यापक है और न ही इसमें महामारी यानी कोविड-19 का प्रबंधन शामिल है। श्री डेव प्रस्तुत करते हैं

कानून में दी गई उस शक्ति का प्रयोग उसी तरीके से किया जाना है। श्री दवे ने आगे कहा कि इसे लागू करने में एक गंभीर समस्या है

राष्ट्रीय योजना, 2019। श्री दवे हमें नवंबर, 2019 की योजना के कुछ हिस्से पर ले गए हैं, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक-पी-2 के रूप में दायर किया गया है। श्री दवे प्रस्तुत करते हैं कि केवल अनुच्छेद 7.15 जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से संबंधित है लेकिन योजना में कोई वित्तीय राहत देने पर विचार नहीं किया गया है। श्री दवे ने कहा कि जब तक कोविड-19 के लिए कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है, तब तक कोविड-19 को रोकने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए जा सकते हैं। अधिनियम, 2005 की धारा 46 का उल्लेख करते हुए श्री दवे ने कहा कि एन. डी. आर. एफ. का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, आपदा के लिए व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दी गई सभी राशि एन. डी. आर. एफ. में जमा की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड का गठन तब नहीं किया जाना चाहिए था जब आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ पहले से ही मौजूद है। श्री दवे ने कहा कि 2019 की योजना में एन. डी. आर. एफ. को धन देने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के लिए परिचालन दिशा-निर्देशों का उल्लेख और

रिट याचिका में, श्री दवे प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद 5.5 में यह प्रावधान है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा किए गए योगदान को एन. डी. आर. एफ. में जमा किया जाना है, जिसे खंड 5.5 को पृष्ठ पर दायर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन और प्रशासन के लिए बाद के परिचालन दिशानिर्देशों में हटा दिया गया है।

154 , जो हाल के दिशानिर्देश हैं। खंड 5.5 को हटाने से अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से एन. डी. आर. एफ. में योगदान की अनुमति नहीं है। श्री दवे ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास पीएम केयर्स फंड की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन पीएम केयर्स फंड बनाकर एनडीआरएफ को दरकिनार किया जा रहा है। जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। हालांकि, एन. डी. आर. एफ. का लेखा परीक्षण कैग द्वारा किया जाता है, लेकिन पीएम केयर्स फंड का लेखा परीक्षण केवल निजी लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।

17. याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों का खंडन करते हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि रिट याचिका में दी गई राहत (i) और (ii) निष्फल हो गई है क्योंकि राष्ट्रीय योजना पहले ही धारा 11 के तहत तैयार की जा चुकी है, जिसे सार्वजनिक हित याचिका के लिए केंद्र को भेजा गया है।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

जवाबी हलफनामे में और योजना के प्रासंगिक उद्धरण को पहले ही जवाबी हलफनामे के साथ अनुलग्नक आर-1 के रूप में दर्ज किया जा चुका है। वह प्रस्तुत करता है कि राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों के रूप में

संबंधित हैं, दिशानिर्देश मौजूद हैं, जिन्हें जवाबी हलफनामे द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया है, जिसमें कोविड-19 सहित सभी आपदाओं को शामिल किया गया है। श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि योजना-नवंबर, 2019 के साथ-साथ अधिनियम, 2005 में दी गई शक्तियों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय शामिल हैं और कोविड-19 के लिए किसी अलग राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता नहीं है।

18. श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया

निधि अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत निर्धारित की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में किए गए बजटीय प्रावधानों के रूप में निधि शामिल है। वह प्रस्तुत करता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का अस्तित्व, जो एक वैधानिक कोष है,

स्वैच्छिक दान प्राप्त करने वाले किसी भी सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के निर्माण को न तो रोका जा सकता है और न ही इसका यह मतलब हो सकता है कि ऐसी सभी स्वैच्छिक निधियों में प्राप्त राशि धारा 46 के तहत बनाई गई वैधानिक निधि में जानी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और पीएम केयर्स कोष अलग-अलग होने के कारण, पीएम केयर्स कोष की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने के लिए किसी भी निर्देश का कोई अवसर नहीं है।

19. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और गौर किया है

रिकॉर्ड। हस्तक्षेप के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

20. प्रत्यर्थी ने अपने हलफनामे में याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र के बारे में विवाद/आपत्ति जताई है। यह, अन्य बातों के साथ, तर्क दिया जाता है कि केवल जनहित याचिका दायर करने के लिए कोई स्थायी निकाय मौजूद नहीं हो सकता है। हालांकि, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि शुरुआत में, वर्तमान मामले के तथ्यों में, वह गुण-दोष के आधार पर माननीय अदालत की सहायता करना चाहेंगे और अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र का सवाल, जो उनके अनुसार एक बहुत ही गंभीर सवाल है, को अन्य मामलों में उठाए जाने और निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया जाए।

कार्यवाही। इसलिए, हमने उपरोक्त प्रश्न को खुला रखते हुए पक्षकारों को गुण-दोष के आधार पर सुना है, ताकि उन्हें सुना जा सके और उचित कार्यवाही में निर्णय लिया जा सके।

21. पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों से। और अभिलेख पर अभिवचन, निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैं इस रिट याचिका में:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या भारत संघ अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत,

आई)

विशेष रूप से महामारी के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने, अधिसूचित करने और लागू करने के लिए बाध्य है

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की परवाह किए बिना कोविड-19

नवंबर, 2019 में अधिसूचित योजना?

क्या भारत संघ निर्धारित करने के लिए बाध्य है

II)

अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत जारी किए गए पहले के दिशानिर्देशों के बावजूद कोविड-19 के लिए अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानक राहत के मानक?

III)

क्या भारत संघ राष्ट्रीय आपदा का उपयोग करने के लिए बाध्य है

कोविड-19 की लड़ाई में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 46 के तहत बनाया गया प्रतिक्रिया कोष?

IV) क्या व्यक्तियों और संस्थानों के सभी योगदान/अनुदान को पीएम केयर्स के बजाय अधिनियम की धारा 46 (1) (बी) के संदर्भ में एनडीआरएफ को जमा किया जाना चाहिए।

कोष?

वी)

क्या पीएम केयर्स फंड में एकत्र की गई सारी राशि अब तक है एन. डी. आर. एफ. को स्थानांतरित करने के लिए तिथि निर्देशित की जाए?

प्रश्न संख्या I

क्या भारत संघ अधिनियम की धारा 11 के तहत,

आई)

2005 , नवंबर, 2019 में अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की परवाह किए बिना विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने, अधिसूचित करने और लागू करने के लिए बाध्य है?

22. प्रभावी प्रबंधन के लिए अधिनियम, 2005 लागू किया गया है।

आपदाओं और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री पदेन हैं। धारा 6 राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों को सूचीबद्ध करती है। के अनुसार

धारा 6 उप-धारा (2) (बी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (इसके बाद राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) को राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देनी है। धारा 7 के तहत, राष्ट्रीय प्राधिकरण एक सलाहकार का गठन कर सकता है।

आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञों से बनी समिति।

धारा 8 के तहत, केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित सूची के लिए एक राष्ट्रीय एन. टी. आर. ई. का गठन करना है।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]निष्पादन में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए कार्यकारी समिति

अधिनियम के तहत कार्य। अधिनियम की धारा 11 राष्ट्रीय

निम्नलिखित प्रभाव के लिए कौन सा प्रावधान हैः -

" 11. राष्ट्रीय योजना-(1) एक योजना बनाई जाएगी।

पूरे देश के लिए आपदा प्रबंधन के लिए बुलाया जाना है राष्ट्रीय योजना।

(2) राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय सरकार द्वारा तैयार की जाएगी

राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी समिति

राज्य सरकारों और विशेषज्ञ निकायों के साथ परामर्श या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों को मंजूरी दी जाएगी

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा।

(3)

(क) आपदाओं की रोकथाम या उनके प्रभावों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय;
(ख) विकास योजनाओं में शमन उपायों के एकीकरण के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए किए जाने वाले उपाय।

आपदा की स्थिति या आपदा का खतरा;

(घ) खंड (क), (ख) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और

(सी)।

(4) राष्ट्रीय योजना की समीक्षा की जाएगी और उसे अद्यतन किया जाएगा।

सालाना।

(5) केंद्र द्वारा उचित प्रावधान किए जाएंगे।

इसके तहत किए जाने वाले उपायों के वित्तपोषण के लिए सरकार राष्ट्रीय योजना।

(6) उप-धारा (2) और (4) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय योजना की प्रतियां मंत्रालयों या विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

भारत सरकार और ऐसे मंत्रालयों या विभागों का राष्ट्रीय योजना के अनुसार अपनी योजनाएं तैयार करेंगे।

23. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 11 के तहत पहली राष्ट्रीय योजना थी -

वर्ष 2016 में संशोधित की गई थी और राष्ट्रीय योजना थी

लाल और नवंबर, 2019 में अधिसूचित। राष्ट्रीय आपदा का सार [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नवंबर, 2019 की प्रबंधन योजना को याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के अनुलग्नक-पी 2 के साथ-साथ प्रतिवादी द्वारा प्रारंभिक जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-आर 1 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है। 24. हम योजना, 2019 के कुछ प्रासंगिक भागों को उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए देख सकते हैं जो विचार के लिए है। 'कार्यकारी सारांश' शीर्षक के तहत योजना, 2019 में कहा गया हैः -

" ..... राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन. डी. एम. पी.) सरकारी एजेंसियों को एक रूपरेखा और दिशा प्रदान करती है।

आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए। एन. डी. एम. पी. इस मायने में एक "गतिशील दस्तावेज" है कि आपदा प्रबंधन में उभरती वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान आधार को ध्यान में रखते हुए इसमें समय-समय पर सुधार किया जाएगा। यह डी. एम. अधिनियम, 2005 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (एन. पी. डी. एम.) 2009 में दिए गए मार्गदर्शन और

राष्ट्रीय प्रथाओं की स्थापना की।

25. कार्यकारी सारांश में ही, शुरू किए गए परिवर्तनों को देखते हुए, योजना में कहा गया है कि "जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों" सहित कई खतरों से संबंधित नए खंड जोड़े गए हैं। योजना, 2019 आपदा प्रबंधन के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को एक रूपरेखा और निर्देश प्रदान करती है। यह योजना इस मायने में एक गतिशील दस्तावेज है कि इसमें समय-समय पर सुधार किया जाना था। आपदा प्रबंधन में आधारित सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान के साथ। यह योजना आपदा के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

प्रबंधन। इसमें आपदा जोखिम में कमी, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और बेहतर निर्माण शामिल हैं। यह मानता है कि प्रभावी

आपदा प्रबंधन के लिए कई खतरों को शामिल करते हुए एक व्यापक ढांचे की आवश्यकता है। 'कानूनी अधिदेश' शीर्षक के तहत योजना के अनुच्छेद 1.4 में कहा गया हैः -

" 1.4 . कानूनी अधिदेश

डी. एम. अधिनियम 2005 की धारा 11 में कहा गया है कि पूरे राज्य के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन. डी. एम. पी.) होगी।

भारत से। एन. डी. एम. पी. 2009 की आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (एन. पी. डी. एम.) का अनुपालन करता है और डी. एम. अधिनियम के प्रावधानों का पालन करता है जिससे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए पर्याप्त डी. एम. योजनाएं होना अनिवार्य हो जाता है। जबकि एनडीएमपी

यह पूरे देश के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित होगा, सार्वजनिक रुचि सूची के लिए एन. टी. आर. ई. v.

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

जोखिम-भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट नोडल मंत्रालय और विभाग विस्तृत डी. एम. योजनाएं तैयार करेंगे। दी गई आपदा के लिए। डी. एम. अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय और विभाग, चाहे वह जोखिम भरा हो

विशिष्ट नोडल मंत्रालय हों या न हों, व्यापक डी. एम. योजनाएं तैयार करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि उनमें से प्रत्येक आपदा रोकथाम, तैयारी के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयासों में कैसे योगदान देगा। प्रतिक्रिया, और पुनर्प्राप्ति।

डी. एम. अधिनियम के आदेश के अनुसार, एन. डी. एम. पी. नियुक्त करता है।

सभी मंत्रालयों के लिए विशिष्ट और सामान्य जिम्मेदारियाँ और

आपदा प्रबंधन विभाग। डी. एम. अधिनियम एन. डी. एम. पी. को योजना का समर्थन करने और उसे लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपने का आदेश देता है। इसलिए, सभी मंत्रालयों पर यह दायित्व है कि वे एन. डी. एम. पी. में उल्लिखित सभी अंतर्निहित और स्पष्ट जिम्मेदारियों को स्वीकार करें, भले ही वे व्यवसाय के सामान्य नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित जिम्मेदारियों से परे हों। आपदा प्रबंधन के लिए सामान्य से परे जिम्मेदारियों को संभालना आवश्यक है।

कार्य कर रहा है। एन. डी. एम. पी. को अलग से पूरक बनाया जाएगा।

बहुस्तरीय शासन प्रणाली के सभी स्तरों पर आकस्मिक योजनाएं, एस. ओ. पी., नियमावली और दिशा-निर्देश।

26. योजना के उपरोक्त भाग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि योजना ई कई आकस्मिक योजनाओं, मानक संचालन शिक्षा (एस. ओ. पी.), बहु-I शासन प्रणाली के सभी स्तरों पर नियमावली और दिशानिर्देशों द्वारा पूरक है। पैराग्राफ 1.13 'आपदाओं के प्रकार' से संबंधित है। ग्राफ 1.13। 1 , ' प्राकृतिक खतरों को पाँच प्रमुख क्षेत्रों में गिना गया है।

ऑरिस। उप-श्रेणी (5) का प्रभाव निम्नलिखित हैः

" 1.13. 1 प्राकृतिक खतरे

1) .....

5) जैविक प्रक्रिया या घटना या जैविक उत्पत्ति या जैविक वैक्टर द्वारा व्यक्त किया गया, जिसमें रोगजनक के संपर्क में आना भी शामिल है।

सूक्ष्म जीव, विषाक्त पदार्थ और जैव सक्रिय पदार्थ जो जीवन की हानि, चोट, बीमारी या अन्य स्वास्थ्य प्रभाव, संपत्ति की क्षति, आजीविका और सेवाओं की हानि, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं।

27. तालिका 1-1 के तहत, 'प्राकृतिक खतरों की श्रेणियों' का नेतृत्व किया गया है। तालिका 1-1 की वस्तु (5) का निम्नलिखित प्रभाव हैः

" तालिका 1-1: प्राकृतिक खतरों की श्रेणियाँ

			संक्षिप्त विवरण /
		मुख्य कार्यक्रम	
	परिवार		
			द्वितीयक आपदा
	जियोफिजिकल		
1			
~ 2 340	हाइड्रोलॉजिकल		
			मौसम विज्ञान
जलवायु विज्ञान			
		एक्सपोजर	
5	जैविक		
			• महामारीः
		कीटाणु और विषाक्त पदार्थ	
			वायरल,
बैक्टीरियल			
		पदार्थ	
			परजीवी,
कवक,			
प्रियोन			
			या
			संक्रमण
			कीट।

संक्रमण

जानवर।

भगदड़

28. तालिका 1-3 में 'प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय' का प्रावधान है।

जैविक आपात स्थितियों के संबंध में विभिन्न आपदाओं के शमन के लिए नोडल मंत्रालय को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के रूप में अधिसूचित किया गया है। पैराग्राफ 2.2.3 के तहत, जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटा लिया गया है। उपरोक्त का पहला अनुच्छेद इस प्रकार हैः

..... इस उप-समूह से संबंधित आपदाएँ जैविक हैं।

आपात स्थिति और महामारी, कीटों के हमले, पशु महामारी और

खाद्य विषाक्तता। जैविक आपातकाल प्राकृतिक कारणों से होता है। महामारी का प्रकोप या जैविक एजेंटों का जानबूझकर उपयोग

(वायरस और सूक्ष्मजीव) या विषाक्त पदार्थों के प्रसार के माध्यम से

मानव आबादी, खाद्य फसलों को नुकसान पहुँचाने के तरीकों से ऐसे एजेंट और

पशुओं से रोगों का प्रकोप होता है। इसके माध्यम से हो सकता है

भोजन, पानी, हवा, मिट्टी या पौधों, फसलों या पशुधन में। इसके अलावा रोगजनक के प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन से

जीव, जैविक युद्ध के हथियारों के रूप में उनका संभावित उपयोग और जैव आतंकवाद अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है

इससे पहले। परमाणु और रासायनिक एजेंटों के साथ, कई जैविक

एजेंटों को अब बड़े पैमाने पर कारण बनाने में सक्षम माना जाता है

मृत्यु दर और रुग्णता। "सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र v. भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

29. पैराग्राफ 6 और 7 "आपदा लचीलापन का निर्माण" से संबंधित हैं।

उत्तरदायित्व ढांचा, भाग ए और बी "। जैविक विज्ञान से निपटना

पैराग्राफ 7.15 में अंतर्निहित स्वास्थ्य आपात स्थितियां निम्नलिखित हैं -

पैराग्राफ के तहत ईडः -

" 7.15 जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (बी. पी. एच. ई.) 7.15. 1 जोखिम को समझना

7.15. 2 अंतर-एजेंसी समन्वय

7.15. 6 जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन "

30. अनुच्छेद 7.15 के तहत एक विस्तृत चार्ट तैयार किया गया है।

आईवी पार्ट्स और पैराग्रैप के केवल पहले हिस्से पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

.15.1 , मद 1, जिसका निम्नलिखित प्रभाव हैः -

" 7.15. 1 जोखिम को समझना

जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (बी. पीएच. ई.)

उप-उन्हें एक टिक

केन्द्रीय/राज्य एजेंसियां और उनकी जिम्मेदारियां

केंद्र #जिम्मेदारी

डी. आर. आर. हेतु क्षेत्र

राज्य

जिम्मेदारी

-

केंद्र

राज्

य

पुनरावृ

त्ति /

1. अवलोकन

एमएचएफडब्ल्यू

एचएफडब्ल्यू डी *,

पुनरावृत्ति /

नियमित

(आर. आर.)

डीएमडी 3,

रखरखाव

नेटवर्क,

(एनसीडीसी),

नियमित (आर. आर.)

एमएएफडब्ल्यू,

एस. डी. एम. ए. के लिए,

निवारक

• समर्थन

गठन में

एमएचए,

प्रशिक्षण

आर. डी.

प्रणालियाँ,

के अनुसार

उपाय

निगरानी,

एमओडी,

• तकनीकी डी. आर. डी. का विस्तार,

मानदंड

यू. डी. डी,

अनुसंधान,

एमओईएस,

समर्थन

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी.

डी. डब्ल्यू. एस. डी,

अल्पावधि

(टी1)

पूर्वानुमान,

ईडीडी, पीडी,

सुदृढ़ीकरण

प्रारंभिक चेतावनी

मॉर,

मध्यम

एकीकृत

स्वास्थ्य

और

एमएलबीई,

ई. एफ. डी.,

अवधि (टी2)

क्षेत्र निर्धारण/मानचित्रण

मेइटी,

एएचडी,

निगरानी

. स्थापना

प्रारंभिक डब्ल्यू सीडी,

एनडीएमए

सिस्टम एस

से

पीआरआई/यूएलबी,

चेतावनी

एस. एल. आर. टी. आई.

मध्यम

प्रणाली

अवधि

(टी2)

डीडीएमए

सुदृढ़ीकरण

• स्थापना

आई. डी. एस. पी. और प्रारंभिक

और

बनाए रखें

चेतावनी

समुदाय

सिस्टम एस

में

नेटवर्क

आधारित

क्षेत्रीय स्तर

साझा करना

के लिए

महामारी विज्ञान

चेतावनी

रोग

•

सुदृढ़ीकरण

मानचित्रण

आईडीए

स पी

स्वास्थ्य सुविधाएं

मानचित्रण

लंबा।

अवधि

(टी3)

राज्यों

होना चाहिए,

संशोधित या

अनुकूलित करें

चेतावनी

आईएमडी

का

प्रणाली के

अनुसार

सी

माएँ

को

में

लागू होता है

प्रत्येक

राज्य [2020] 11 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. आइटम (1) के अलावा अन्य आइटम, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

पैराग्राफ 7, जो प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैः

जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (बी. पी. एच. ई.)

उप-विषयगत

केंद्रीय/राज्य एजेंसियां और उनकी जिम्मेदारियां

केंद्र #जिम्मेदारी-केंद्र राज्य

जिम्मेदा

री-राज्य

डी. आर. आर. के लिए क्षेत्र

2 . जोखिम एम. एच. एफ. डब्ल्यू. ',

एचएफडब्ल्यूडी,

आवर्ती/

नियमित

बार-बार!

डीएमडी $,

एमएएफडब्ल्यू *, एमएचए,

असुरक्षा और

नियमित (आर. आर.)

(आरआर)

क्षमता

अध्ययन, एस. डी. एम. ए., एच. आर. वी. सी.

ए. को अद्यतन करने को बढ़ावा देना।

एमओडी, एमओईएस,

प्रलेखन और डी. आर. डी.,

मूल्यांकन

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी.

एमएसजेई, एन. डी. एम. ए.

(एचआरवीसीए)

यू. डी. डी,

अनुसंधान

पहचा

न करना।

द.

डी. डब्ल्यू. एस. डी,

असुर

क्षित

प्रशिक्षण और ई. एफ. डी. प्रदान करें,

जनसं

ख्या /

तकनीकी सहायता

एएचडी,

समुदा

य /

डब्ल्यूसीडी,

बस्ति

याँ

• कमजोरियों पर अध्ययन डी. एस. जे. ई.,

क्षमता पी. आर. आई.,

और

पहचान

में से

सामाजिक, यू. एल. बी.,

आवरण

आवश्यकताएँ

समूह

भौतिक, आर्थिक, एस. एल. आर. टी. आई,

विशेष ध्यान दें।

पारिस्थितिक, लिंग, डी. डी. एम. ए

सामाजिक समावेशन और

का लेखापरीक्षा करें

इक्विटी

पहलू

उपकरण और एचयू आदमी

संसाधन

अल्पावधि (टी1)

आवश्यकताएँ

दिशा-निर्देश बनाएँ

अल्पावधि (टी1)

का

गठन/सुदृढ़ीकरण

तंत्र

के लिए

विशेषज्ञों

के साथ परामर्श

और हितधारक

एचएफडब्ल्यूडी *,

अल्पा

वधि (टी1)

3 एमएचएफडब्ल्यू, एमएचए का प्रसार,

नियमित रूप से पुनरावृत्ति

डीएमडी $,

चेतावनी, डेटा और

एमओडी, एमओईएस,

बनाएँ

।

(आरआर)

जागरूकता

जानकारी

एमएएफ डब्ल्यू,

एस. डी. एम. ए

आयोजन के लिए समर्थन

बचा

व के उपाय

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी.

डी आर डी,

प्रशिक्षण

एनडीएमए

यू. डी. डी,

व्याप

क।

आई. ई. सी.

डी. डब्ल्यू. एस. डी,

तकनीकी विस्तार

बनाने

के लिए अभियान

ईडीडी,

के

माध्यम से जागरूकता

समर्थन

पीडी, ईएफडी,

प्रिंट,

इलेक्ट्रॉनिक और

एएचडी,

सोश

ल मीडिया

डब्ल्यूसीडी,

पीआरआई,

मध्यम

अवधि (टी2)

यूएलबी,

के लिए

विशिष्ट संदेश

एस. एल. आर. टी.

आई.

अत्यधिक

कमजोर समूह

डीडीएमए

जैसे बुजुर्ग,

युवा

बच्चे,

बाहर

मजदूर

और झुग्गी बस्ती

निवासियों

डीएमडी $,

डेटा एमएचए, एमओएसपीआई

आवर्ती/

नियमित

4 आपदा

पुनरावृत्ति /

संग्रह

और सभी मंत्रालय /

नियमित (आर. आर.)

एस. डी. एम. ए

(आरआर)

व्यवस्थित आँकड़ा

सभी विभाग।

व्यवस्थित आँकड़ा

विभाग।

प्रबंधन

आंकड़ों का प्रबंधन

आंकड़ों का प्रबंधन

आपदा क्षति और हानि

आपदा क्षति और हानि मूल्यांकन

मूल्यांकन

अल्पावधि (टी1)

अल्पावधि (टी1)

आपदा क्षति और

आपदा क्षति और

हानि 2005-2015 आधार रेखा

हानि 2005-2015

आधार रेखा

टिप्पणियाँः (#) सरकार का प्रत्येक मंत्रालय, विभाग या एजेंसी

- केंद्रीय और राज्य-जिनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उनके पास भी होगा

आपदा के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायक भूमिका,

स्थान और संदर्भ। (*) सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र के साथ मंत्रालय, विभाग या एजेंसी v.

इस प्रतीक की नोडल या प्रमुख भूमिका है या माना जाता है, जबकि उल्लिखित अन्य की प्रत्यक्ष या स्पष्ट सहायक भूमिका है। ($) डीएमडी

-आपदा प्रबंधन विभागः राज्य सरकार ने

आपदा के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा विभाग

प्रबंधन, जो हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में समान नहीं है।

32. अनुच्छेद 7.15। 2 इन मदों में अंतर-एजेंसी समन्वय से संबंधित है। अनुच्छेद 7.15। 3 डी. आर. आर.-संरचनात्मक में निवेश से संबंधित

उपाय। अनुच्छेद 7.15। 4 डी. आर. आर.-गैर-संरचनात्मक उपायों में निवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 7.15। 5 क्षमता विकास से संबंधित है। अनुच्छेद 7.15। 6 जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन से संबंधित। इस प्रकार इस योजना में जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य का विस्तृत उपचार शामिल है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, आपात स्थितियों का विवरण जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-आर 1 के पृष्ठ 117 से 130 पर दिया गया है। के सभी पहलू

इस प्रकार, जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटा गया है व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से। 2019 की योजना विभिन्न अनुच्छेदों में पूरी रूपरेखा से संबंधित है।

33. याचिकाकर्ता द्वारा जो निवेदन किया गया है वह यह है कि

कोविड-19 के लिए धारा 11 के तहत राष्ट्रीय योजना। अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना होगी पूरा देश। धारा 11 की उप-धारा (3) के अनुसार राष्ट्रीय योजना में निम्नलिखित शामिल होंगेः -

" 11. (3) राष्ट्रीय योजना में शामिल होंगे -

(क) आपदाओं की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय, या

उनके प्रभावों को कम करना;

(ख) शमन उपायों के एकीकरण के लिए किए जाने वाले उपाय

विकास योजनाओं में;

(ग) किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए किए जाने वाले उपाय या

आपदा;

(घ) निर्दिष्ट उपायों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।

खंड (ए), (बी) और (सी) में। “

34. राष्ट्रीय योजना तैयार करने का उद्देश्य और उद्देश्य उन सभी संभावित आपदाओं से निपटना और उनसे निपटना है जो देश [2020] 11 एस. सी. आर.

चेहरा। जब किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए उपाय करने होते हैं, तो खंड आपदा होने के बाद योजना तैयार करने पर विचार नहीं करता है।

35. राष्ट्रीय योजना और कानून द्वारा विचार किए गए दिशानिर्देश

पैराग्राफ 1.13 के तहत तालिका 1-1 में देखा गया। 1 विशेष रूप से महामारी शामिल हैं: वायरल, बैक्टीरियल, परजीवी, कवक और प्रियॉन संक्रमण। नोवेल कोरोनावायरस एक महामारी है जो एक महामारी बन गई है। इस देश के साथ-साथ दुनिया के अन्य देशों में भी अलग-अलग प्रकृति और विस्तार की महामारियाँ हुई हैं। महामारी एक महामारी है, जो कई देशों/महाद्वीपों में फैली हुई है। एक महामारी, एक आपदा के रूप में दुनिया भर में जानी और पहचानी गई है जिससे अधिकांश देश बार-बार संक्रमित होते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, योजना 2019 सरकार के सभी स्तरों पर कई योजनाओं, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस. ओ. पी.), नियमावली, दिशानिर्देशों द्वारा पूरक है।

37. भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जुलाई, 2008 में "जैविक आपदाओं के प्रबंधन" विषय पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए थे। दिशानिर्देश विशेष रूप से ध्यान देता है कि "जैविक आपदाएँ" महामारी के कारण हो सकती हैं, दिशानिर्देशों में कहा गया है:

" जैविक आपदाएँ एंथ्रेक्स, चेचक आदि जैसे जैविक कारकों के उपयोग से महामारी, विषाक्त सूक्ष्मजीवों की आकस्मिक रिहाई या जैविक आतंकवाद (बी. टी.) के कारण हो सकती हैं। संक्रामक रोगों का अस्तित्व इतिहास की शुरुआत से ही मानव समुदायों और सभ्यताओं के बीच जाना जाता रहा है। लगभग सभी सभ्यताओं का शास्त्रीय साहित्य आबादी को नष्ट करने, सैन्य अभियानों को विफल करने और राष्ट्रों को अस्थिर करने के लिए प्रमुख संक्रमणों की क्षमता को दर्ज करता है। महामारी के कारण होने वाली सामाजिक उथल-पुथल ने युगों से इतिहास को आकार देने में योगदान दिया है।

38. इस प्रकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण महामारी से अच्छी तरह वाकिफ था और उसने वर्ष 2008 में ही सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र v.

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

जिसका विस्तृत विवरण योजना-2019 में दिया गया है। महामारी के सभी पहलू, महामारी को रोकने के लिए सभी उपाय, तैयारी, प्रतिक्रिया, शमन

योजना, 2019 में विस्तार से चर्चा की गई है। जब तक धारा 11 के तहत विचार की गई राष्ट्रीय योजना में जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों सहित आपदा के सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया जाता है, तब तक सरकारों के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करना और महामारी को रोकना संभव नहीं होगा।

39. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में पर्याप्त शक्तियां हैं।

(एस. ओ. पी.), जो कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोनावायरस, 2019 के लिए नियंत्रण योजना जारी की गई है, जिसकी प्रति 16.05.2020 तक अद्यतन की गई है, जिसे अनुलग्नक R4 के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है। दिशानिर्देशों, एस. ओ. पी. और योजना की कोई कमी नहीं है नोडल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुलग्नक आर-6 को रिकॉर्ड में लाया गया है, यानी बड़े प्रकोपों के लिए अद्यतन नियंत्रण योजना नोवेल कोरोनावायरस रोग, 2019 (कोविड-19)।

40. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के साथ-साथ नोडल मंत्रालय ने कोविड-19 को रोकने के लिए सभी उपायों को विनियमित करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश और आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की यह दलील सही नहीं है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कोई पर्याप्त योजना नहीं है। कोविड-19 एक जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है, जिसे विशेष रूप से राष्ट्रीय योजना, 2019 द्वारा कवर किया गया है, जो विभिन्न योजनाओं, दिशानिर्देशों और उपायों द्वारा पूरक है, इसलिए कोविड-19 से निपटने के लिए योजनाओं और प्रक्रियाओं की कोई कमी या कमी नहीं है।

41. हम यह भी देख सकते हैं कि इस न्यायालय ने गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और अन्य, (2017) 6 एस. सी. सी. 730 मामले में ध्यान दिया है कि धारा 11 के तहत राष्ट्रीय योजना को पहले ही राष्ट्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फैसले के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः -

“ 7. यह भी बताया गया कि एक राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी गई है और धारा के संदर्भ में एन. डी. एम. ए. की वेबसाइट पर रखा गया है। 11 अधिनियम की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा-निर्देश भी एन. डी. एम. ए. की वेबसाइट पर रखे गए हैं।

42. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता के इस दावे में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि भारत संघ को कोविड-19 के लिए धारा 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने का निर्देश दिया जाए। राष्ट्रीय योजना, 2019 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न आदेशों और उपायों के साथ पहले से ही लागू है, तैयारी के लिए भारत संघ को कोई अवसर या कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है कोविड-19 के लिए एक नई राष्ट्रीय योजना। इस प्रकार, हमारा मानना है कि भारत संघ कोविड-19 के लिए एक नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने, अधिसूचित करने और लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।

प्रश्न NO.II

II) क्या भारत संघ कोविड-19 के लिए अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के लिए बाध्य था, चाहे पहले के दिशानिर्देश कुछ भी हों।

अधिनियम की धारा 12 के तहत जारी किया गया

राहत के न्यूनतम मानक?

43. अधिनियम की धारा 12, राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित है। धारा 12 इस प्रकार हैः

" 12. राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश। -द.

राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करेगा, जिसमें शामिल होंगेः

(i) आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा कवर और स्वच्छता के संबंध में राहत शिविरों में प्रदान की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताएं;

((ख) विधवाओं और अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधान;
(iii) जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता और

घरों को हुए नुकसान के कारण सहायता और जीर्णोद्धार के लिए

आजीविका के साधन;

((iv) ऐसी अन्य राहत जो आवश्यक हो।

44. याचिकाकर्ता का मामला जैसा कि ऊपर देखा गया है कि केंद्र को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 (ii) और (iii) के तहत विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ आना चाहिए, जिसमें विशेष प्रावधानों की सिफारिश की जानी चाहिए।

विधवाओं और अनाथों के लिए और कोविड-19 संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के रिश्तेदारों को अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन कठोर लॉकडाउन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप भी।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र v. भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

न्यूनतम मानकों के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं कोविड-19। याचिकाकर्ता के उपरोक्त दावे का उत्तरदाताओं द्वारा खंडन किया गया है। उत्तरदाताओं ने धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों के दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड पर लाया है जैसा कि पहले मौजूद था

कोविड-19, जिसे जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-आर 7 के रूप में दाखिल किया गया है। अनुलग्नक-आर 7 के रूप में दायर दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं -

राहत और पुनर्वास शिविर की परिभाषा,

((i)

राहत शिविरों में आश्रय के संबंध में न्यूनतम मानक,

((ख)

राहत शिविरों में भोजन के संबंध में न्यूनतम मानक,

(iii)

((0) iv) राहत शिविरों में पानी के संबंध में न्यूनतम मानक, (v) राहत शिविरों में स्वच्छता के संबंध में न्यूनतम मानक, (0) राहत शिविरों में चिकित्सा सुरक्षा के संबंध में न्यूनतम मानक।

शिविर और

(vii) विधवाओं और अनाथों के लिए राहत के न्यूनतम मानक।

45. ये दिशा-निर्देश अनुलग्नक-आर 7 के तहत दर्ज किए गए हैं, जो कोविड-19 महामारी की घोषणा से पहले से मौजूद थे। धारा 12 में उल्लिखित सभी वैधानिक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। अनुभाग

12 आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों पर विचार करता है। धारा 12 में उल्लिखित 'आपदा' शब्द वर्तमान आपदा सहित सभी आपदाओं को शामिल करता है। धारा 12 में यह विचार नहीं किया गया है कि विभिन्न आपदाओं के लिए राहत के न्यूनतम मानकों के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश होंगे।

46. समान दिशा-निर्देशों पर विचार किया गया है ताकि आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा कवर और अन्य सुविधाओं के संबंध में न्यूनतम आवश्यकता प्रदान की जा सके। खंड में विचार के अनुसार स्वच्छता और अन्य राहत। न्यूनतम मानकों के लिए पहले से ही दिशा-निर्देश हैं

कोविड-19, न्यूनतम मानकों के लिए उक्त दिशानिर्देश उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो कोविड-19 से प्रभावित हैं। धारा 12 में ऐसा नहीं है

राहत के न्यूनतम मानकों के लिए नए दिशानिर्देशों पर विचार करें।

कोविड-19 के संबंध में जारी किया जाए। याचिकाकर्ता का भारत संघ को कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली धारा 12 के तहत नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध गलत है।

47. भारत सरकार ने दिनांक 14.03.2020 के आदेश के माध्यम से कोविड-19 महामारी को [2020] 11 एस. सी. आर. के लिए एक अधिसूचित आपदा के रूप में मानने का निर्णय लिया है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत सहायता प्रदान करने का उद्देश्य,

48. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि भारत संघ कोविड-19 के लिए अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं है और राहत के न्यूनतम मानकों के लिए धारा 12 के तहत जारी दिशा-निर्देश महामारी के लिए अच्छे हैं कोविड-19 भी।

प्रश्न संख्या। 3 , 4 और 5

III) क्या भारत संघ कोविड-19 की लड़ाई में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 46 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने के लिए बाध्य है?

IV) क्या व्यक्तियों और संस्थानों से सभी योगदान/अनुदान एन. डी. आर. एफ. को जमा किए जाने चाहिएः

पीएम केयर्स फंड के बजाय अधिनियम की धारा 46 (1) (बी)?

49. तीनों परस्पर संबंधित प्रश्नों को एक साथ लिया जाता है। याचिकाकर्ता की दलीलें राष्ट्रीय आपदा के आसपास केंद्रित हैं प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और पीएम केयर्स कोष। पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों की सराहना करने के लिए हमें इन निधियों की प्रकृति और चरित्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का अध्याय IX वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित है। धारा 46 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का प्रावधान करती है। धारा 46 में कहा गया हैः

" 46. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। - (1) द सेंट्रल सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष नामक एक कोष का गठन कर सकती है।

किसी भी खतरनाक आपदा या आपदा का सामना करना और वहाँ

उसमें श्रेय दिया जाएगा।

(क) एक राशि जिसे केंद्र सरकार, संसद द्वारा कानून द्वारा इस संबंध में किए गए उचित विनियोग के बाद कर सकती है।

प्रदान करें;

(ख) कोई भी अनुदान जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया जा सकता है

आपदा प्रबंधन का उद्देश्य।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष बनाया जाएगा।

आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के लिए उपलब्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और खर्चों को पूरा करने की दिशा में

द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्वास

राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से केंद्र सरकार "।

50. केंद्र सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27.09.2010 द्वारा

जिसे अधिनियम, 2005 की धारा 46 की उप-धारा (1) के तहत जारी राजपत्र असाधारण में "राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष" के रूप में प्रकाशित किया गया था। दिनांकित अधिसूचना 27.09.2010 में लिखा है:

" गृह मंत्रालय

सूचना

नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2010

एस. O.2346 (E)। - द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (1)

2005 (53 2005), केंद्र सरकार एतद्वारा गठित करती है

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (इसके बाद एनडीआरएफ)

किसी भी खतरनाक आपदा या आपदा का सामना करना।

[F.No.32-3/2010-एन. डी. एम.-I]

R.K.SRIVASTAVA, जूनियर सेकी "।

51. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन. डी. आर. एफ.) के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। धारा 46 (1), जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दो प्रकार की राशियों को जमा करने पर विचार करती है, अर्थात (ए) एक ऐसी राशि जो केंद्र सरकार, संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद प्रदान कर सकती है; और (ख) कोई भी अनुदान जो इसके द्वारा दिया जा सकता है

आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से कोई व्यक्ति या संस्था।

52. एन. डी. आर. एफ. के गठन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश

याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पृष्ठ 129 पर रिकॉर्ड में लाया गया है। दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष 2010-11 से लागू हुए। पैरा 3.1 में एन. डी. आर. एफ. के अंतर्गत आने वाली आपदाओं की गणना की गई है। अनुच्छेद 3.1 इस प्रकार हैः

" 3.1 चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीटों का हमला

भारत सरकार द्वारा गंभीर प्रकृति का माना जाता है और राज्य सरकार द्वारा [2020] 11 एस. सी. आर. से अधिक व्यय की आवश्यकता।

अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में उपलब्ध शेष राशि

(एसडीआरएफ), एनडीआरएफ से तत्काल राहत सहायता के लिए योग्य होगा।

53. दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 5 एफ. पैराग्राफ 5.1 से 5.5 में योगदान से संबंधित है जो इस प्रकार हैः

" 5.1 वित्तीय वर्ष के अंत में एन. सी. सी. एफ. की समापन शेष राशि वर्ष में एन. डी. आर. एफ. की प्रारंभिक शेष राशि होगी।

2010-11 .

5.2 के अनुसार एन. डी. आर. एफ. में धन जमा किया जाएगा

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान।

5.3 एन. डी. आर. एफ. को धन हस्तांतरित करने के लिए बजट प्रावधान जैसा कि ऊपर पैरा 5 में उल्लेख किया गया है, अनुदान संख्या की मांग में किया जाएगा। 35- " राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हस्तांतरण (गैर-योजना प्रावधान के तहत)। राज्य सरकारों को जारी किया जाएगा

इस प्रावधान से वित्त मंत्रालय द्वारा।

5.4 वर्षों के दौरान भारत के सार्वजनिक खाते में स्थापित एन. डी. आर. एफ. को 2010-15 हस्तांतरण संचालन द्वारा किया जाएगा निम्नलिखित लेखा प्रमुखः मेजर हेड "2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-80-सामान्य-797-रिजर्व में स्थानांतरण

निधि और जमा खाता '-राष्ट्रीय आपदा में हस्तांतरण

प्रतिक्रिया कोष।

5.5 इस उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया योगदान

आपदा प्रबंधन का श्रेय भी एनडीआरएफ को दिया जाएगा।

इस तरह के योगदान को शामिल करने के तौर-तरीके नियत समय में निर्धारित किए जाएंगे। बेशक "।

54. दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 7.1 एन. डी. आर. एफ. से राहत राशि के मूल्यांकन से संबंधित है। अनुच्छेद 7.1 इस प्रकार हैः

" 7.1 अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) में पर्याप्त राशि नहीं रखने वाले राज्य द्वारा किए गए अनुरोध पर, गृह मंत्रालय या कृषि मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, यह आकलन करेगा कि क्या एन. डी. आर. एफ. से अतिरिक्त सहायता के लिए कोई मामला है।

इन दिशानिर्देशों और एन. डी. आर. एफ./एस. डी. आर. एफ. के तहत सहायता की स्वीकृत वस्तुओं और मानदंडों के तहत बनाया गया है। इस तरह का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः (i) राज्य सरकार के ज्ञापन की जांच वस्तुओं और सार्वजनिक हित सूची के लिए एन. टी. आर. ई. के अनुसार धन की संभावित आवश्यकता का आकलन करने के लिए की जाएगी।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

एस. डी. आर. एफ./एन. डी. आर. एफ. के तहत व्यय के मानदंड। यदि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मानदंडों के अनुसार राहत प्रदान करने के लिए राज्य के पास एस. डी. आर. एफ. में पर्याप्त धन है, तो राज्य को तदनुसार सलाह दी जाएगी।

(11) यदि प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि राज्य को सहायता की आवश्यकता है, तो इसके लिए एक केंद्रीय दल नियुक्त किया जाएगा।

मौके पर मूल्यांकन करना।

केंद्रीय दल की रिपोर्ट की जांच

(iii)

डी. एम. अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन. ई. सी.)। एन. ई. सी. एन. डी. आर. एफ./एस. डी. आर. एफ. के मानदंडों के अनुसार एन. डी. आर. एफ. से वित्त पोषित की जा सकने वाली सहायता और व्यय की सीमा का आकलन करेगी और सिफारिशें करेगी।

(iv) एन. ई. सी. की सिफारिशों के आधार पर, एक उच्च स्तरीय

समिति (एच. एल. सी.) तत्काल राशि को मंजूरी देगी।

एनडीआरएफ से राहत जारी की जाएगी "।

55. एन. डी. आर. एफ. के प्रशासन के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं

वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रभावी जिसे रिट याचिका के पृष्ठ 154 पर लाया गया है। दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 3.1 वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए दिशानिर्देशों के तहत नहीं है। अनुच्छेद

अंडाकारः

" 4.1 एन. डी. आर. एफ. का संचालन भारत सरकार द्वारा उपरोक्त आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा, जिन्हें इन दिशानिर्देशों के पैरा 7 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए 'गंभीर प्रकृति' के रूप में आंका गया है। एन. डी. आर. एफ. को सार्वजनिक खाते में भारत सरकार की उप-धारा (बी) 'ब्याज न देने वाली आरक्षित निधि' में प्रमुख शीर्ष 8235-'सामान्य और अन्य आरक्षित निधि'-119-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि 'के तहत वर्गीकृत किया गया है।

56. पैराग्राफ 5 एन. डी. आर. एफ. में योगदान से संबंधित है और पैराग्राफ 5 में दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव किए गए हैं। परिच्छेद 5.1 से

नए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैंः

" 5.1 वित्तीय वर्ष के अंत में एनडीआरएफ का समापन संतुलन

वर्ष 2014-15 वर्ष 2015-16 में एनडीआरएफ की प्रारंभिक शेष राशि होगी।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 (ए) और (बी) के प्रावधानों के अनुसार एन. डी. आर. एफ. में धन जमा किया जाएगा।

5.3 एन. डी. आर. एफ. को धन हस्तांतरित करने के लिए बजट प्रावधान जैसा कि ऊपर पैरा 5 में उल्लेख किया गया है, अनुदान संख्या की मांग में किया जाएगा। 35- " राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हस्तांतरण (गैर-योजना प्रावधान के तहत)। राज्य सरकारों को विज्ञप्ति

इस प्रावधान से वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

5.4 भारत के सार्वजनिक खाते में स्थापित एन. डी. आर. एफ. को वर्ष 2015-20 के दौरान हस्तांतरण निम्नलिखित लेखा प्रमुखों को संचालित करके किया जाएगाः प्रमुख शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि और जमा खाते में हस्तांतरण"-राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरण

आपदा प्रतिक्रिया कोष "।

57. उपरोक्त योजना है। नए अधिनियम के अनुच्छेद 10 के अनुसार

दिशा-निर्देशों के अनुसार, एन. डी. आर. एफ. से होने वाला खर्च गंभीर आपदा के उन मामलों में तत्काल राहत प्रदान करने में राज्य की सहायता करने के लिए है, जहां आवश्यक खर्च राज्य के एस. डी. आर. एफ. में शेष राशि से अधिक है। एनडीआरएफ है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित की जाने वाली एक सांविधिक निधि, जिसका गठन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था और जो अभी भी क़ानून में उल्लिखित उद्देश्यों के साथ-साथ अधिनियम, 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के लिए मौजूद है।

58. अब हम पीएम केयर्स फंड को देख सकते हैं। याचिकाकर्ता ने

पीएम केयर्स फंड के कुछ विवरणों को अनुलग्नक के रूप में दर्ज किया गया पी13। रिट याचिका के अनुलग्नक-पी13 के रूप में रिकॉर्ड में लाए गए पीएम केयर्स फंड के बारे में विवरण इस प्रकार हैंः

" कोविड-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए, 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत' के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास बनाया जाएगा।

आपातकालीन स्थिति कोष (पीएम केयर्स फंड) की स्थापना की गई है।

ऊपर।

ऑनलाइन दान करने के लिए यहां क्लिक करें।

उद्देश्यः

- सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति या किसी अन्य प्रकार के आपात स्थिति से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या सहायता करने और उसका समर्थन करने के लिए, सार्वजनिक रुचि सूची के लिए एन. टी. आर. ई. V.

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

आपदा या संकट, या तो मानव निर्मित या प्राकृतिक, जिसमें स्वास्थ्य सेवा या दवा सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन, अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रासंगिक अनुसंधान या किसी अन्य प्रकार की सहायता का वित्तपोषण शामिल है।

• वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, भुगतान अनुदान प्रदान करें

प्रभावित आबादी के लिए धन या ऐसे अन्य कदम उठाएं जो न्यासी मंडल द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

• किसी भी अन्य गतिविधि को शुरू करना, जो उपरोक्त वस्तुओं के साथ असंगत न हो।

• प्रधानमंत्री पीएम केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार इस कोष के पदेन न्यासी हैं। • न्यासी मंडल (प्रधानमंत्री) के अध्यक्ष के पास न्यासी मंडल में तीन न्यासी नामित करने की शक्ति होगी जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

न्यासी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

अन्य विवरणः

इस कोष में पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान शामिल हैं।

व्यक्तियों/संगठनों को कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।

इस निधि का उपयोग ऊपर बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

• पीएम केयर्स फंड में दान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 100% छूट के लिए 80G लाभ के योग्य होगा। पीएम केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के रूप में गिने जाने के योग्य होगा।

• पीएम केयर्स फंड को भी एफसीआरए के तहत छूट मिली है और विदेशी दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता बनाया गया है।

खोला गया। यह पीएम केयर्स फंड को विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से दान और योगदान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। यह प्रधानमंत्री के संबंध में सुसंगत है। राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)। पी. एम. एन. आर. एफ. को 2011 से एक सार्वजनिक न्यास के रूप में विदेशी योगदान भी मिला है।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऑनलाइन दान करने के लिए यहाँ क्लिक करें "

59. उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि पीएम केयर्स फंड का गठन एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में किया गया है। प्रकोप के बाद

कोविड-19 महामारी, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए, एक न्यास का गठन करके एक कोष बनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री को एक न्यास के रूप में शामिल किया गया था।

पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष, अन्य पदेन और फंड के नामित न्यासियों के साथ। पीएम केयर्स फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इसमें कोई सरकारी धन जमा नहीं होता है। पीएम केयर्स फंड।

60. एन. डी. आर. एफ. के साथ-साथ पी. एम. केयर्स के गठन पर ध्यान देने के बाद

अब हम श्री दवे द्वारा उठाए गए विवादों को देख सकते हैं। श्री दवे का कहना है कि एन. डी. आर. एफ. के प्रशासन के लिए पहले के दिशानिर्देश जो वित्तीय वर्ष से लागू हुए थे।

2010-11 वित्तीय वर्ष 2015-16 से नए दिशानिर्देशों द्वारा संशोधित किए गए हैं, और अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए एनडीआरएफ में योगदान करना संभव नहीं है। श्री दवे ने प्रस्तुत किया कि पीएम केयर्स फंड को लाभान्वित करने के लिए पहले के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.5 को हटा दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा सभी योगदान पीएम केयर्स फंड में जाने चाहिए। श्री दवे प्रस्तुत करते हैं कि नए दिशानिर्देशों में (पृष्ठ 154-155 पर) पहले के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.5 को हटाने से यह स्पष्ट होता है कि अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए एनडीआरएफ में कोई योगदान करना संभव नहीं है।

61. उपरोक्त प्रस्तुति को स्वीकार नहीं करने के दो कारण हैं। सबसे पहले, पहले के दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 5.5 जिसमें विचार किया गया था।

आपदा के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा योगदान

एन. डी. आर. एफ. का प्रबंधन अभी भी नए दिशानिर्देशों में है, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू हुए हैं। नए दिशानिर्देशों में एक ही शीर्षक है, अर्थात, "एन. डी. आर. एफ. में योगदान" और दिशानिर्देश 5.2 में कहा गया है कि "एन. डी. आर. एफ. में धन जमा किया जाएगा।"

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 (1) (ए) और (बी) के प्रावधानों के अनुसार। 5. 2 उपरोक्त दिशानिर्देश विशेष रूप से धारा 46 (1) (ए) और (बी) और धारा 46 (1) (बी) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है

कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा दिया जाने वाला कोई भी अनुदान एन. डी. आर. एफ. में जमा किया जाएगा। यह प्रस्तुत करना कि नए दिशानिर्देशों के बाद, किसी भी व्यक्ति के लिए सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र V संभव नहीं है।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

इस प्रकार, एन. डी. आर. एफ. में कोई भी योगदान देना गलत और गलत है। धारा 46 के वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू नए दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्थान अभी भी एनडीआरएफ में योगदान कर सकता है। 62. दूसरा, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद वर्ष 2020 में पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया है।

दिशानिर्देश 2015-16 से लागू हुए, जिस तारीख को पीएम केयर्स फंड अस्तित्व में नहीं था, इसलिए, यह प्रस्तुत करना कि पीएम केयर्स फंड को लाभान्वित करने के लिए नए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था, पूरी तरह से गलत धारणा है।

63. श्री दवे के निवेदन का एक अन्य अंग यह है कि हालांकि भारत सरकार ने अपने दिनांकित पत्र के माध्यम से एस. डी. आर. एफ. के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोविड-19 को एक अधिसूचित आपदा के रूप में मानने का निर्णय लिया है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है

एन. डी. आर. एफ. के तहत कोविड-19 के लिए सहायता प्रदान करना। दिनांकित 14.03.2020 अधिसूचना को रिट याचिका के अनुलग्नक-P10 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है जो इस प्रकार हैः

" No.33-4/2020-एन. डी. एम.-I

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

सी-विंग, तीसरी मंजिल,

एनडीसीसी-II

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

तिथि

14.03.2020

को।

मुख्य सचिव

(सभी राज्य)

विषयः कोविड-19 वायरस प्रकोप [2020] 11 एस. सी. आर. के मद्देनजर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से सहायता की वस्तुएं और नियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर/मैडम। मुझे उपरोक्त विषय पर 8 अप्रैल, 2015 के इस मंत्रालय के पत्र No.32-7/2014 का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है।

2. भारत में कोविड-19 वायरस के प्रसार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित करने को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एस. डी. आर. एफ. के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसे एक बार की विशेष व्यवस्था के माध्यम से एक अधिसूचित आपदा के रूप में मानने का निर्णय लिया है। रोकथाम के लिए सहायता की वस्तुओं और मानदंडों की एक सूची

एस. डी. आर. एफ. से पात्र भारत में कोविड-19 वायरस संलग्न है।

आप की ईमानदारी से,

(संजीव कुमार जिंदल) भारत सरकार के संयुक्त सचिव

दूर भाषः 23438096

केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया निधि के उपयोग के लिए समान प्रावधान करने के लिए ए. एस. (यू. टी.), एम. एच. ए. को प्रतिलिपि बनाएँ।

जानकारी के लिए सीसीः पीएस से एचएम/एमओएस (एन)/एचएस "

64. उपरोक्त अधिसूचना जारी होने के बाद, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने इस विषय पर 03.04.2020 का आदेश जारी कियाः वर्ष के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एस. डी. आर. एम. एफ.) से केंद्रीय हिस्से का अग्रिम विमोचन

2020-21 " . उक्त आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। 11,092 / - आई. डी. 1,184 करोड़ में से जो एस. डी. आर. एम. एफ. का केंद्रीय हिस्सा था। सभी राज्यों को एस. डी. आर. एम. एफ. के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अलग-अलग राशि आवंटित की गई है। उक्त अधिसूचना का अनुलग्नक पृष्ठ 161 पर है, जो इंगित करता है कि महाराष्ट्र राज्य को आवंटित अधिकतम अनुदान पहली किश्त के रूप में 1,611 करोड़ रुपये और गोवा राज्य को न्यूनतम राशि, यानी केंद्र द्वारा 6 करोड़ रुपये थी। दिनांकित 14.03.2020 अधिसूचना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र प्रदान करने की अनुमति देती है।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

कोविड-19 के लिए एस. डी. आर. एम. एफ. के तहत सहायता। यदि राज्य का कोई भी खर्च राज्य के एस. डी. आर. एम. एफ. में शेष राशि से अधिक है, तो राज्य एन. डी. आर. एफ. से निधि जारी करने का हकदार है क्योंकि यह रिट याचिका के पृष्ठ 154 से 158 पर दायर नए दिशानिर्देशों से स्पष्ट है। प्रस्तुतिकरण

याचिकाकर्ता का कहना है कि एन. डी. आर. एफ. का उपयोग कोविड-19 के लिए किसी भी सहायता के लिए नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

65. इस मामले का एक और पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब केंद्र राज्य को कोविड-19 को रोकने के लिए उपाय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि 03.04.2020 के आदेश द्वारा रु। 11,092 / - एस. डी. आर. एम. एफ. को केंद्रीय हिस्से के रूप में दिए गए करोड़ रुपये पर कुछ भी नहीं है। यह दर्ज करें कि किसी भी राज्य ने राज्य के एस. डी. आर. एम. एफ. में शेष राशि से अधिक खर्च किया है, अधिक निधि मांगने का कोई अवसर नहीं है।

एन. डी. आर. एफ. से राज्य द्वारा जब केंद्र सरकार कोविड-19 को रोकने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तो किसी भी जनहित याचिका याचिकाकर्ता का यह कहना उचित नहीं है कि केंद्र को इस कोष या उस कोष से राशि देनी चाहिए। वित्तीय योजना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जिसकी वित्तीय योजना उचित विचार-विमर्श और विचार-विमर्श के बाद बनाई जाती है। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता के निवेदन में कोई सार नहीं पाते हैं कि कोविड-19 के लिए एन. डी. आर. एफ. के उपयोग में कोई वैधानिक प्रतिबंध/निषेध है। इससे भी अधिक जब धारा 46 की उप-धारा (2) में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि एन. डी. आर. एफ. को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सके।

67. पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और यह सरकारी कोष नहीं है। धर्मार्थ न्यास सार्वजनिक न्यास हैं। काले का कानून शब्दकोश, दसवां संस्करण धर्मार्थ विश्वास को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः

" धर्मार्थ न्यास। एक निजी व्यक्ति या संस्था के बजाय एक विशिष्ट दान, विशिष्ट दान, या आम जनता को लाभान्वित करने के लिए बनाया गया एक न्यास। धर्मार्थ न्यास अक्सर अनुकूल के लिए पात्र होते हैं।

उपचार। "[2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68. केवल यह तथ्य कि न्यास का प्रशासन न्यासियों, अर्थात लोगों के एक समूह में निहित है, स्वयं न्यास के सार्वजनिक चरित्र को नहीं खोएगा जैसा कि मुल्ला गुलाम अली और सफियाबाई डी. न्यास बनाम में निर्धारित किया गया है। दिलीप कुमार एंड कंपनी, (2003) 11 एस. सी. सी. 772। पैराग्राफ 4 में, इस न्यायालय ने निर्धारित कियाः

" 4. केवल यह तथ्य कि ट्रस्ट के प्रशासन के संबंध में नियंत्रण लोगों के एक समूह में निहित है, स्वयं को दूर नहीं करेगा। न्यास का सार्वजनिक चरित्र।

पीएम केयर्स कोष बनाने के लिए जिसका गठन एक उद्देश्य से किया गया था सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी महामारी के मद्देनजर सहायता का विस्तार करना

कोविड-19।

70. श्री दवे ने प्रस्तुतियों के दौरान निष्पक्ष रूप से कहा है कि वे पीएम केयर्स फंड के गठन की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। बिनि।

निवेदन यह है कि एन. डी. आर. एफ. का लेखा-परीक्षण कैग द्वारा किया जाता है, लेकिन पीएम केयर्स फंड का लेखा-परीक्षण कैग द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि एक निजी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। एन. डी. आर. एफ. और पी. एम. केयर्स कोष की प्रकृति पूरी तरह से अलग है। एन. डी. आर. एफ. के संबंध में अधिनियम, 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा एन. डी. आर. एफ. के लेखापरीक्षा का प्रावधान है, जबकि सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का कोई अवसर नहीं है।

71. हम कोविड-19 के संबंध में एक और पहलू देख सकते हैं। हमने ऊपर देखा है कि संविधान के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए गए थे और एन. डी. आर. एफ. और राज्य के एस. डी. आर. एम. एफ. के प्रशासन, दिशानिर्देशों में सीमित आपदाओं के लिए निधि का उपयोग प्रदान किया गया, जिसमें कोई भी जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल शामिल नहीं था। हम पहले ही एन. डी. आर. एफ. के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों के खंड 3.1 पर ध्यान दे चुके हैं, जिसमें एन. डी. आर. एफ. के लिए प्रावधान नहीं था।

आपदाएँ जो जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को शामिल करती हैं। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रभावी दिशानिर्देशों के तहत न तो एनडीआरएफ और न ही एसडीआरएफ ने जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को कवर किया। यह केवल दिनांक 14.03.2020 की अधिसूचना द्वारा था कि कोविड-19 को सार्वजनिक रुचि सूची के लिए केंद्र प्रदान करने के उद्देश्य से अधिसूचित आपदा के रूप में माना गया था।

भारत संघ [अशोक भूषण, जे.]

एसडीआरएफ के तहत सहायता। जाहिर है कि दिनांक 1 की इस अधिसूचना से पहले एन. डी. आर. एफ. में किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा निर्दिष्ट आपदा के संबंध में कोई योगदान नहीं दिया जा सकता था, जैसे कि जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जैसे कि कोविड-19, भारत में कोविड-19 का प्रकोप और साथ ही साथ दुनिया के अन्य देशों में तत्काल आवश्यक योगदान।

चिकित्सा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में वृद्धि और कोविड-19 को रोकने के लिए कोष का निर्माण। समय की इस आवश्यकता पर एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास, अर्थात् पीएम केयर्स फंड के गठन में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, जिसके पास आपात स्थिति को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन हों।

स्थिति। 72. एन. डी. आर. एफ. और पी. एम. केयर्स कोष दो पूरी तरह से अलग-अलग कोष हैं जिनका उद्देश्य और उद्देश्य अलग-अलग हैं। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए

चर्चा करते हुए, हम निम्नलिखित तरीके से प्रश्न Nos.3,4 और 5 का उत्तर देते हैंः

उत्तर 3. भारत संघ नए नियमों के अनुसार राज्यों के अनुरोध पर निधि जारी करके कोविड-19 महामारी की लड़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए एनडीआरएफ का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है।

दिशानिर्देश।
4. उत्तर दें। किसी भी व्यक्ति या संस्थान के किसी भी योगदान, अनुदान को एन. डी. आर. एफ. में जमा करने की मनाही नहीं है और यह अभी भी किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए एन. डी. आर. एफ. में योगदान करने के लिए खुला है।

अधिनियम, 2005 की धारा 46 (1) (बी) की शर्तें। पीएम केयर्स फंड में किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान द्वारा योगदान स्वैच्छिक है।

और यह किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए योगदान करने के लिए खुला है

पूरी तरह से अलग फंड जो एक सार्वजनिक धर्मार्थ के फंड हैं ट्रस्ट और स्थानांतरण के लिए कोई निर्देश जारी करने का कोई अवसर नहीं है

एनडीआरएफ को उक्त धनराशि।

73. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका में की गई प्रार्थना 'ए' और 'बी' को अस्वीकार कर दिया जाता है। प्रार्थना 'सी' के संबंध में, हम

यह स्पष्ट करें कि (i) एन. डी. आर. एफ. के प्रशासन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 की लड़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए एन. डी. आर. एफ. का उपयोग करने के लिए भारत संघ के लिए कोई वैधानिक निषेध नहीं है; (ii) अधिनियम की धारा 46 (1) (बी) के अनुसार एन. डी. आर. एफ. में किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा कोई योगदान करने पर कोई वैधानिक निषेध नहीं है। 2005 .

74. याचिकाकर्ता की प्रार्थना में एकत्र किए गए सभी धन को निर्देशित करने के लिए ए. एन. डी. आर. एफ. को हस्तांतरित किए जाने वाले पीएम केयर्स कोष को आज तक अस्वीकार कर दिया गया है।

75. ऊपर दिए गए कानून के स्पष्टीकरण के अधीन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

अंकित ज्ञान